

परिशिष्ट-I

31 मार्च 2003 को छत्तीसगढ़ सरकार की संक्षिप्त वित्तीय स्थिति:-
(कड़िका 1.8 में संदर्भित)

(करोड़ रुपये में)

31.3.2002 को	देयताएँ	31.3.2003 को	
2,549.96	आन्तरिक ऋण		3,682.63
1,422.87	ब्याज सहित बाजार कर्जे	1,872.86	
1.23	ब्याज रहित बाजार कर्जे	1.24	
209.77	अन्य संस्थाओं से कर्जे	289.28	
निरंक	अर्थोपाय पेशगियाँ	निरंक	
-	भारतीय रिजर्व बैंक से अधिविकर्ष	निरंक	
916.09	केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत योजनाओं हेतु जारी विशेष प्रतिभूति	1,519.25	
3,105.14	केन्द्र सरकार से कर्जे एवं पेशगियाँ		3,172.78
119.05	1984-85 से पूर्व के कर्जे	105.76	
898.89	योजनेत्तर कर्जे	667.24	
2,034.05	राज्य आयोजनागत योजनाओं हेतु कर्जे	2,348.48	
15.28	केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं हेतु कर्जे	14.18	
37.87	केन्द्र प्रवर्तित आयोजनागत योजनाओं हेतु कर्जे	37.12	
40.02	आकस्मिकता निधि		40.02
1,109.93	लघु बचतें, भविष्य निधियां आदि		1,148.37
501.49	निक्षेप		640.20
196.60	आरक्षित निधियाँ		350.87
(-) 81.65	उच्चन्त एवं विविध शेष		(-)196.99
7,421.49			8,837.88
	परिसंपत्तियाँ		
2,181.36	अचल परिसम्पत्तियों पर सकल पूँजीगत परिव्यय		3001.15
15.30	कम्पनियों, निगमों इत्यादि के शेयरों में निवेश	35.84	
2,166.06	अन्य पूँजीगत परिव्यय	2,965.31	
184.35	कर्जे एवं पेशगियाँ		223.59
5.13	ऊर्जा परियोजनाओं हेतु कर्जे	10.13	
180.75	अन्य विकास कर्जे	214.76	
(-) 1.53	सरकारी सेवकों को कर्जे एवं विविध कर्जे	(-) 1.30	
-	आरक्षित निधि निवेश	-	
निरंक	आकस्मिकता निधि का विनियोजन	-	-
(-) 1.70	पेशगियाँ		(-)2.76
241.41	प्रेषण शेष		178.99
210.89	नगद		718.16
0.10	कोषालय में नगद एवं स्थानीय प्रेषण	(-) 12.13	
(-) 111.62	रिजर्व बैंक के साथ निक्षेप	(-) 246.29	
4.69	स्थाई नगद अग्रदाय सहित विभागीय नगद शेष	6.05	
317.72	नगद-शेष निवेश	970.53	
4,579.40	शासकीय लेखे में घाटा		4692.10
568.66	(i) चालू वर्ष /अवधि का राजस्व घाटा	112.70	
-	(ii) विविध शासकीय लेखा	-	
3,970.74	(iii) संचित घाटा	4,579.40	
40.00	(i) आकस्मिकता निधि का विनियोजन	-	
25.78	अन्तर्राज्यीय समाशोधन		26.65
7,421.49			8,837.88

परिशिष्ट-II
वर्ष 2002-2003 हेतु प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार
(कड़िका 1.8 में संदर्भित)

(करोड़ रुपये में)

2001-02	प्राप्तियाँ	2002-03	2001-02	संवितरण	2002-2003		
					योजनेतर	योजनागत	कुल
	अनुभाग - क राजस्व						
4375.69	I राजस्व प्राप्तियाँ	5,417.30	4,944.35	I - राजस्व व्यय	4,260.28	1,269.72	5,530.00
1993.13	कर राजस्व	2,327.44	1,746.23	सामान्य सेवाएँ	1,838.39	0.47	1,838.86
722.38	कर - भिन्न राजस्व	956.56	1,914.75	सामाजिक सेवाएँ	1,355.88	730.57	2,086.45
1,175.80	संघ करों का राज्यांश	1,349.90	695.44	शिक्षा खेल कला एवं संस्कृति	569.05	175.20	744.25
180.88	आयोजनेतर अनुदान	195.15	231.54	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	141.48	110.43	251.91
148.03	राज्य आयोजनागत योजना हेतु अनुदान	263.70	197.67	जल प्रदाय स्वच्छता आवास एवं शहरी विकास	59.73	173.71	233.44
			7.47	सूचना एवं प्रसारण	11.00	0.50	11.50
			502.81	अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों/अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	363.50	158.80	522.30
			257.76	श्रम एवं श्रम कल्याण	13.49	7.53	21.02
			0.94	सामाजिक कल्याण एवं पोषाहार अन्य	196.53	104.40	300.93
					1.10	-	1.10
155.47	केन्द्रीय एवं केन्द्र प्रवर्तित आयोजनागत योजनाओं हेतु अनुदान	324.55	1,150.58	आर्थिक सेवाएँ	904.38	538.68	1,443.06
			467.37	कृषि एवं संलग्न गतिविधियाँ	403.15	253.77	656.92
			342.53	ग्रामीण विकास	113.55	197.49	311.04
			-	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	-	-	-
			84.35	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	130.59	28.24	158.83
			82.43	ऊर्जा	60.00	26.22	86.22
			35.22	उद्योग एवं खनिज	14.83	23.84	38.67
			131.38	परिवहन	175.86	5.84	181.70
			0.02	विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	0.58	-	0.58
			7.28	सामान्य आर्थिक सेवाएँ	5.81	3.28	9.09
			132.79	सहायता अनुदान एवं अंशदान	161.64	-	161.64
568.66	II अनुभाग ख को अग्रेनीत राजस्व घाटा	112.70	-	II अनुभाग-ख को अग्रेनीत राजस्व बचत	-	-	-
4,944.35	योग - क	5,530.00	4,944.35	योग	4,260.28	1,269.72	5,530.00
119.69	III अनुभाग - ख स्थाई पेशगियों तथा रोकड़ शेष निवेश सहित प्रारंभिक रोकड़ शेष	210.89	-	III भारतीय रजर्व बैंक से प्रारंभिक अधिविकर्ष	-	-	-
	IV विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ	-	-	IV पूंजीगत परिव्यय	-	-	-
			20.08	सामान्य सेवाएँ	-	19.22	19.22
			106.46	सामाजिक सेवाएँ	-	136.82	136.82
			2.05	शिक्षा खेल, कला एवं संस्कृति	-	6.22	6.22
			12.41	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	-	19.61	19.61
			56.18	जल प्रदाय, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास	-	47.80	47.80
			-	सूचना एवं प्रसारण	-	-	-
			34.86	अ.जा.अ.ज.जा.एवं अ.पि.व. कल्याण	-	49.11	49.11
			0.84	सामाजिक कल्याण एवं पोषाहार	-	14.03	14.03
			0.12	अन्य सामाजिक सेवाएँ	-	0.05	0.05
			349.71	आर्थिक सेवाएँ	0.78	662.97	663.75
			18.87	कृषि एवं संलग्न गतिविधियाँ	0.74	22.44	23.18
			22.45	ग्रामीण विकास	-	23.68	23.68
			204.19	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	-	365.88	365.88
			-	ऊर्जा	-	-	-
			2.92	उद्योग एवं खनिज	0.04	4.38	4.42
			101.12	परिवहन	-	246.59	246.59
			0.16	सामान्य आर्थिक सेवाएँ	-	-	-
			476.25	योग (पूंजीगत लेखे)	0.78	819.01	819.79

परिशिष्ट - II (निरंतर)

प्राप्तियाँ				संवितरण			
2001-02			2002-03	2001-02		2002-2003	
5.57	V	अन्तरराज्यीय समाशोधन	0.23	31.35	V अन्तरराज्यीय समाशोधन	-	01.10
3.51	VI	कर्जे एवं पेशगियों की वसूलियाँ	18.46	49.52	VI संवितरण कर्जे एवं पेशगियों	-	57.70
-		विद्युत परियोजना से	-	-	विद्युत परियोजनाओं हेतु	5.00	-
2.38		सरकारी सेवकों से	2.46	-	सरकारी सेवकों को	2.68	-
1.13		अन्य से	16.00	-	अन्य को	50.02	-
	VII	अधनीत राजस्व बचत		568.66	VII अधनीत राजस्व घाटा	-	112.70
994.61	VIII	लोक ऋण प्राप्तियाँ	1,613.31	184.02	VIII लोक ऋणों का पुनर्भुगतान	-	413.00
653.75		अर्थोपाय पेशगियों तथा अधिविकर्ष के अलावा आंतरिक ऋण	1,179.19	45.12	अर्थोपाय पेशगियों तथा अधिविकर्ष के अलावा आन्तरिक ऋण	46.52	-
-		अधिविकर्ष सहित अर्थोपाय पेशगियों के अधीन निवल लेन-देन	-	-	अधिविकर्ष सहित अर्थोपाय पेशगियों के अधीन निवल लेन-देन	-	-
340.86		केन्द्र सरकार से कर्जे एवं पेशगियाँ	434.12	138.90	केन्द्र सरकार को कर्जे एवं पेशगियों के पुनर्भुगतान	366.48	-
-	IX	आकस्मिकता निधि को विनियोग	-	-	IX आकस्मिकता निधि को विनियोग	-	-
-	X	आकस्मिकता निधि को अन्तरित राशि	-	(-) 0.02	X आकस्मिकता निधि से व्यय	निरंक	-
5620.09	XI	लोक लेखे प्राप्तियाँ	6,923.52	5,222.80	XI लोक लेखा संवितरण	-	6,643.95
428.45		लघु बचते एवं भविष्य निधियाँ	374.75	343.16	लघु बचते एवं भविष्य निधियाँ	336.31	-
149.42		आरक्षित निधियाँ	256.20	15.29	आरक्षित निधियाँ	101.92	-
2,784.30		उच्चंत एवं विविध	3,389.04	2,771.58	उच्चंत एवं विविध	3,504.38	-
1,355.85		प्रेषण	1,845.57	1,370.52	प्रेषण	1,783.15	-

902.07		निक्षेप एवं पेशगियाँ	1,057.96	722.25	निक्षेप एवं पेशगियाँ	918.19	-
	XII	भारतीय रिजर्व बैंक से अंतिम अधिविकर्ष	-	210.89	XII वर्ष के अंत में रोकड़ शेष	-	718.16
				0.10	कोषालय में रोकड़ तथा स्थानीय प्रेषण	(-) 12.13	-
				(-)111.62	- रिजर्व बैंक के पास जमा	(-) 246.29	-
				4.69	- स्थायी रोकड़ अग्रवाय सहित विभागीय रोकड़ शेष	6.05	-
				317.72	- रोकड़ शेष निवेश तथा उद्दिष्ट निधि निवेश	970.53	
6,743.47	-	योग - ख	8,766.40	6,743.47	योग - ख		8,766.40

परिशिष्ट III
निधियों के स्रोत एवं उपयोग
(कंडिका 1.8 में संदर्भित)

(राशि करोड़ रुपये में)

2001-2002		स्रोत	2002-03		
राशि	प्रतिशत		राशि	राशि	प्रतिशत
4,375.69	78	राजस्व प्राप्तियाँ	-	5,417.30	77
3.51	-	कर्ज एवं पेशगियों की वसूलियाँ	-	18.46	-
810.59	15	लोक ऋण में वृद्धियाँ	-	1,200.30	17
411.96	07	लोक लेखा से प्राप्तियाँ	-	394.91	06
85.29	-	अ. लघु बचतों में वृद्धि	38.44	-	-
179.82	-	ब. निक्षेपों एवं पेशगियों में वृद्धि	139.77	-	-
134.13	-	स. आरक्षित निधियों में वृद्धि	154.28	-	-
-	-	द. प्रेषण लेन-देनों का प्रभाव	62.42	-	-
12.72		इ. उच्चत एवं विविध	12.72		
-	-	अन्तिम नगद शेष में कमी			
5,601.75		योग	-	7,030.97	100
		उपयोग			
4944.35	88	राजस्व व्यय		5,530.00	79
49.52	01	विकास एवं अन्य उद्देश्यों हेतु उधार देना		57.70	01
476.25	09	पूँजीगत व्यय		819.79	12
(-) 0.02	-	आकस्मिक व्यय निधि लेन-देनों का निवल प्रभाव		निरंक	-
14.67	-	लोक लेखा से उपयोग		115.34	-
-	-	अ. उच्चत एवं विविध लेन-देनों का निवल प्रभाव	115.34		
	-	ब. विविध सरकारी लेखा			
		स. प्रेषण लेन-देनों का प्रभाव		:	:
91.20	02	अंतिम नकद शेषों में वृद्धि		507.27	08
25.78	-	अन्तर्राज्यीय समाशोधन		0.87	-
5,601.75	100	योग		7,030.97	100

परिशिष्ट I, II एवं III हेतु स्पष्टीकरण टिप्पणियाँ -

- विवरण पत्रों में दर्शाए गए संक्षिप्त लेखे, वित्त लेखे में दी गई टिप्पणियों एवं स्पष्टीकरणों के साथ पढ़े जाये।
- सरकारी लेखे मुख्यतः नकद आधार पर होने के कारण प्रदर्श I में यथादर्शित सरकारी लेखे में घाटा, वाणिज्यिक लेखे में उपाजित आधार के विपरीत रोकड़ आधार पर स्थिति का सूचक है। परिणामतः भुगतान योग्य अथवा प्राप्ति योग्य मदें या भण्डार के आकड़े इत्यादि में मूल्य ह्रास अथवा भिन्नता जैसे मदें लेखे में नहीं दर्शाई गई है।
- उच्चत एवं विविध शेषों में जारी किये गये परन्तु भुगतान नहीं किये गये चैक राज्य की ओर से किये गये भुगतान तथा अन्य लंबित समाशोधन सम्मिलित है।
- रोकड़ शेष में समाविष्ट रिजर्व बैंक में जमा से संबंधित लेखाओं में प्रतिविम्बित आंकड़ों यथा 24,628.99 करोड़ रुपये (जमा) और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित 24,553.14 लाख रुपये (जमा) के मध्य 0.76 लाख रुपये (जमा) का अन्तर है। 31 मार्च 2003 के लेखाओं को बन्द करने के पश्चात् मिलान योग्य निवल अन्तर की राशि 0.76 करोड़ रुपये (जमा) है।

परिशिष्ट - IV
राज्य शासन की वित्तीय स्थिति का विश्लेषण
(कंडिका 1.8 में संदर्भित)

(करोड़ रुपये में)

2001-2002	भाग-क प्राप्तियाँ	2002-03
4,376 (81)	1. राजस्व प्राप्तियाँ	5417(77)
1,993 (46)	(i) कर राजस्व	2,327 (43)
940 (47)	विक्रय, व्यापार आदि पर कर	1,102 (47)
314 (16)	राज्य उत्पाद शुल्क	362 (16)
121 (6)	मुद्रांक एवं पंजीयन फीस	148 (06)
196 (10)	माल एवं यात्रियों पर कर	252 (11)
422 (21)	अन्य कर	463 (20)
722 (16)	(ii) कर भिन्न राजस्व	957 (18)
454 (63)	खनन तथा धातु उद्योग	538 (56)
198 (14)	वानिकी तथा वन्य जीवन	106 (11)
170 (5)	अन्य	313 (33)
1,176 (27)	(iii) संघीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश	1,350 (25)
485 (11)	(iv) भारत सरकार से सहायतानुदान	783 (14)
	2. विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ	-
4376	3. कुल राजस्व एवं ऋणोत्तर पूंजीगत प्राप्तियाँ (1+ 2)	5417
04	4. कर्ज एवं पेशगियों की वसूली	19
05	4(अ). अन्तर्राज्यीय समाशोधन	-
995 (18)	5. लोक ऋण प्राप्तियाँ	1,613
654 (66)	आन्तरिक ऋण (अर्थोपाय पेशगियाँ एवं अधिविकर्ष छोड़कर)	1,179 (73)
	अर्थोपाय पेशगियों एवं अधिविकर्ष के अन्तर्गत निवल लेन देन	-
341 (34)	भारत सरकार से कर्ज एवं पेशगियाँ	434 (27)
5,380	6. समेकित निधि में कुल प्राप्तियाँ (3+4+4 (अ) +5)	7,049
-	7. आकस्मिक निधि प्राप्तियाँ	निरंक निरंक
5,620	8. लोक लेखा प्राप्तियाँ	6,924
11,000	9. राज्य की कुल प्राप्तियाँ (6+7+8)	13,973
-	भाग-ख व्यय / संवितरण	-
4,945 (90)	10. राजस्व व्यय	5,530(86)
1,016 (21)	आयोजनागत	1,270 (23)
3,928 (79)	योजनेत्तर	4,260 (77)
1,746 (35)	सामान्य सेवायें (ब्याज भुगतान सहित)	1,839 (33)
1,915 (39)	सामाजिक सेवायें	2,086 (38)
1,150 (23)	आर्थिक सेवायें	1,443 (26)
133 (3)	सहायता अनुदान एवं अंशदान	162 (03)

क्रमशः

2001-2002			2002-2003	
	476(9)	11. पूँजीगत व्यय		820(13)
455(96)		आयोजनागत	819(99.9)	
21(4)		योजनेत्तर	01(0.1)	
20(4)		सामान्य सेवायें	19(02)	
106(22)		सामाजिक सेवायें	137(17)	
350(74)		आर्थिक सेवायें	664(81)	
	50(1)	12. कर्जों एवं पेशगियों का संवितरण		58(01)
	31	12(अ) अंतर्राज्यीय समाशोधन		01
	5,502	13. कुल व्यय (10+11+12+12(अ))		6,409
	184	14. लोक ऋण का पुनर्भुगतान		413
45(24)		आंतरिक ऋण (अर्थोपाय पेशगियां एवं अधिविकर्ष छोड़कर)	47(11)	
-		अर्थोपाय पेशगियाँ एवं अधिविकर्ष के अंतर्गत निबल लेन देन	-	-
139(76)		भारत सरकार कर्जें एवं पेशगियाँ	366(89)	
	(-)0.02	15. आकस्मिक निधि में विनियोग		निरंक
	5,686	16. समेकित निधि से कुल संवितरण (13+14+15)		6,822
	-	17. आकस्मिक व्यय निधि संवितरण	-	-
	5,223	18. लोक लेखा संवितरण	-	6,644
	10,909	19. राज्य द्वारा कुल संवितरण (16+17+18)		13,466
		भाग-ग घाटा		
	569	20. राजस्व घाटा (1-10)		113
	1,117	21. राजकोषीय घाटा (3+4+4(अ)-13)		973
	386	22. प्राथमिक घाटा (21-23)		163
		भाग-घ अन्य आंकड़े		
	731	23. ब्याज भुगतान (राजस्व व्यय में सम्मिलित)		810
	0.01	24. राजस्व बकाया (कर एवं कर भिन्न राजस्व प्राप्तियों का प्रतिशत)		3.56
	177	25. स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता		211
	-	26. ली गई अर्थोपाय पेशगियाँ/अधिविकर्ष (दिन)		-
	-	27. अर्थोपाय पेशगियों/अधिविकर्ष पर ब्याज		-
	30,265	28. सकल राज्य घरेलू उत्पाद		33,297
	7,463	29. बकाया ऋण (वर्षान्त)		8,429
	466	30. बकाया गारंटीयों (वर्षान्त)		266
	508	31. गारंटीकृत अधिकतम राशि (वर्षान्त)		309
	59	32. अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या		72
	1,597	33. अपूर्ण परियोजनाओं में अवरुद्ध पूँजी		2,023

नोट - (i) कोष्ठक में आंकड़े प्रत्येक उप शीर्ष के पूर्ण योग के प्रतिशत को दर्शाते हैं।

* मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्यों के उत्तराधिकारी के मध्य बंटवारे हेतु मध्य में 9710 करोड़ रुपये रोके गए।

परिशिष्ट - V

(कंडिका 1.4 में संदर्भित)

अध्याय I में उपयोग में लाये गये शब्दों की शब्दावली एवं उनकी संगणना का आधार

शब्द	संगणना के आधार
तरण शीलता मापसूचक	माप सूचक की वृद्धि की दर सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि
दूसरे माप सूचक (Y) से तरण शीलता मापसूचक (X)	माप सूचक की वृद्धि दर (X) माप सूचक की वृद्धि दर (Y)
वृद्धि की दर	$[(\text{चालू वर्ष की राशि/पिछले वर्ष की राशि}) - 1] * 100$
प्रवृत्ति/औसत	पिछले 5 वर्षों में वृद्धि की प्रवृत्ति लागेस्ट (1996-97 की राशि: 2001-2002 की राशि) * 100
परिवर्तन हिस्सा/माप सूचक की परिवर्तन दर	राजस्व माप सूचक में पाँच वर्षों में प्रतिशत हिस्से में प्रवृत्ति अथवा व्यय जैसा भी प्रकरण हो
विकास खर्च	सामाजिक सेवायें + आर्थिक सेवायें
भारित ब्याज दर (राज्य द्वारा औसत ब्याज भुगतान)	ब्याज भुगतान / [(पूर्व वर्षों की राजकोषीय देयताओं की राशि)/ चालू वर्ष की राजकोषीय देयताएं/2] * 100
ब्याज फ़ैलाव	सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि - भारित ब्याज दरें
कर्जों/पेशगियों के लिए प्राप्त ब्याज का प्रतिशत	ब्याज की प्राप्ति [(प्रारंभिक शेष + कर्जों एवं पेशगियों का अंतिम शेष)/2] * 100
राजस्व घाटा	राजस्व प्राप्तियां - राजस्व व्यय
राजकोषीय घाटा	राजस्व व्यय + पूंजीगत व्यय + निवल कर्जें एवं पेशगियां - राजस्व प्राप्तियां - विविध पूंजीगत प्राप्तियां
प्राथमिक घाटा	राजकोषीय घाटा - ब्याज भुगतान
चालू राजस्व से शेष	राजस्व प्राप्तियां ऋण 2408- ऋण की कमी या परिहार्यता के अंतर्गत ऋणों सहित सभी आयोजनागत अनुदानों एवं योजनेत्तर राजस्व व्यय

परिशिष्ट -VI

(कंडिका 2.3.1 में संदर्भित)

वे प्रकरण जिनमें व्यय 1 करोड़ रुपये से अधिक तथा कुल प्रावधान के 10 प्रतिशत से अधिक से भी कम रहा हो

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं	अनुदान संख्या / संख्या एवं नाम	बचत की राशि (प्रावधान का प्रतिशत)	बचत के मुख्य कारण
1.	2.	3.	4.
(क) राजस्व (दत्तमत)			
1.	01 सामान्य प्रशासन	7.47 (21.48)	विधान सभा सत्र, टेलीफोन बिलों का विलम्ब से प्राप्त होना, पेट्रोल पम्प बिलों, मंत्रियों से सत्यापित बिलों का विलम्ब से प्राप्त होना, मंत्रियों का आयकर कम होना, 10% आर्थिक कमी एवं भुगतानों पर प्रतिबंध, रखरखाव पर खर्च न होना, कुछ मंत्रियों द्वारा वेतन का आहरण न करना एवं मंत्रियों द्वारा भाड़े पर आवासों को गृहण न करना (1.64 करोड़) शेष बचत के कारण सूचित नहीं किये गये।
2.	02 सामान्य प्रशासन से संबंधित अन्य व्यय	1.86 (57.73)	सूचित नहीं किये गये (अगस्त 2003)।
3.	05 जेल	3.07 (11.31)	शासन से आर्थिक उपायों के कारण पदों को न भरने की स्वीकृति प्राप्त न होना (1.43 करोड़) शेष बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अगस्त 2003)।
4.	06 वित्त विभाग से संबंधित व्यय	139.19 (25.85)	सूचित नहीं किये गये (अगस्त 2003)।
5.	07 वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय	35.22 (46.60)	विभागीय शराब की दुकानों का कम चलना, लायसेंस पद्धति को लागू करना, आर्थिक उपाय शेष बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अगस्त 2003)।
6.	08 भू-राजस्व एवं जिला प्रशासन	14.69 (14.78)	केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा निधियों को जारी न करना, अधिकारियों एवं स्टाफ की पदस्थापना न करना (2 करोड़) शेष बचत के कारणों को सूचित नहीं किया (अगस्त 2003)
7.	09 राजस्व विभाग से संबंधित व्यय	2.45 (55.17)	खाली पद, आर्थिक उपाय, रायपुर में शासकीय मुद्राणालय की स्थापना न होना, सीमित संख्या में मशीनरी, की प्रतिस्थापना (2.33 करोड़) शेष बचत के कारणों को सूचित नहीं किया (अगस्त 2003)।
8.	10 वन	30.31 (11.77)	व्यय पर नियंत्रण, रिक्त पद, उत्पादन वन वृत्तों की समाप्ति, खाद्यान्नों की कम प्राप्ति, कार्यालयों/ अधिकारियों एवं कर्मचारियों के पदों को स्वीकृत न करना बांसों की कटाई एवं परिवहन पर नक्सलवादी गतिविधियों (24.41 करोड़) शेष बचत के कारणों को सूचित नहीं किया (अगस्त 2003)।
9.	11 वाणिज्यिक एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय	4.42 (26.18)	वित्त विभाग से नये उद्योगों कि स्वीकृतियाँ उपलब्ध न होना, राज्य पूंजीगत लागत निवेश योजना के तहत कम मांग न करना (3.25 करोड़) शेष बचत के कारणों को सूचित नहीं किया (अगस्त 2003)।
10.	12 ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय	28.16 (22.63)	सूचित नहीं किये गये (अगस्त 2003)।
11.	13 कृषि	32.67 (35.76)	सूचित नहीं किये गये (अगस्त 2003)।
12.	14 पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय	5.88 (10.58)	रिक्त पद (0.02 करोड़) शेष बचत के कारणों को सूचित नहीं किया (अगस्त 2003)।
13.	15 अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना के अधीन त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	7.55 (25.76)	सूचित नहीं किया गया (अगस्त 2003)

14	17	सहकारिता	1.62 (14.05)	-तदैव-
15	18	श्रम	2.66 (31.05)	-तदैव-
16	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	54.07 (25.40)	-तदैव-
17	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	26.94 (19.43)	-तदैव-
18	21	आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय	6.58 (30.09)	वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त न होना, मांग प्राप्त न होना, (4.19 करोड़) शेष बचत के कारण सूचित नहीं किये (अगस्त 2003)।
19	24	लोक निर्माण सड़क एवं पुल	16.42 (11.06)	विभाग से प्रशासनिक स्वीकृति का विलम्ब से प्राप्त होना यद्यपि सभी कार्यों का स्वीकृति प्रथम पुरक अनुमान में दी गई परन्तु विभागीय प्रक्रिया के कारण कार्य में विलम्ब (4.30 करोड़) शेष बचत के कारण सूचित नहीं किये (अगस्त 2003)
20	25	खनिज संसाधन विभाग से संबंधित व्यय	11.07 (70.37)	रिक्त पद, राज्य के पुर्नगठन से अन्य विभागों की कर्मचारियों का स्थानांतरण (0.01 करोड़) शेष बचत के कारण सूचित नहीं किये (अगस्त 2003)।
21	27	शालेय शिक्षा	101.46 (15.46)	सभी शिक्षा गतिविधियों के कारण डी.पी.ई.पी.योजना के तहत कम प्रावधान (9.03 करोड़) शेष बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अगस्त 2003)।
22	28	राज्य विधायिका	2.66 (29.57)	सूचित नहीं किया गया (अगस्त 2003)।
23	29	न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	18.05 (43.24)	ग्राम न्यायालयों का उचित रूप से संचालन न होने से प्रावधानों का उपयोग न होना, दन्तेवाड़ा जिला न्यायालय में अधिकारियों की पदस्थापना न होना, यात्रा-भत्ता एवं मजदूरी बिलों की कम प्राप्ति (0.58 करोड़) शेष बचतों के कारण सूचित नहीं किया गया (अगस्त 2003)।
24	30	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय	66.08 (36.61)	सूचित नहीं किया गया (अगस्त 2003)
25	31	योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग से संबंधित व्यय	3.06 (43.45)	सूचित नहीं किया गया (अगस्त 2003)
26	32	जनसंपर्क विभाग से संबंधित व्यय	3.81 (23.75)	सूचित नहीं किया गया (अगस्त 2003)
27	36	परिवहन	4.82 (47.92)	सूचित नहीं किया गया (अगस्त 2003)
28	39	खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय	173.67 (35.56)	सूचित नहीं किया गया (अगस्त 2003)
29	41	आदिवासी क्षेत्र उप योजना	234.05 (43.56)	भारत सरकार एवं राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से राज्य लघु वन संघ को अनुदान प्राप्त न होना, समय से केन्द्रांश प्राप्त न होना जिलों से मांग न होना, जिलों द्वारा अभ्यर्पण (42.72 करोड़) शेष बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अगस्त 2003)।
30	44	उच्च शिक्षा	16.89 (17.64)	सूचित नहीं किया गया (अगस्त 2003)
31	47	नकनीकि शिक्षा एवं जनशक्ति नियोजन विभाग	8.28 (19.31)	तकनीकि संस्थाओं में पदों का रिक्त होना, अध्यापकों के सेमिनार के आयोजन के लिये प्रस्तावों का प्राप्त न होना (2.40 करोड़) शेष बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अगस्त 2003)।
32	48	11 वें वित्त आयोग के अधीन प्रशासक के उन्नयन के लिये अनुदान	7.29 (36.34)	भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होना एवं कार्य आयोजना का पूरा न होना (5.55 करोड़) शेष बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अगस्त 2003)।
33	49	अनुसूचित जाति कल्याण	1.89 (12.69)	सूचित नहीं किया गया (अगस्त 2003)।
34	55	महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय	30.54 (25.16)	पदों का रिक्त रहना, प्रशिक्षण के लिये भारत सरकार द्वारा कम राशि की स्वीकृति, वित्त विभाग द्वारा निधियों से आहरण की अनुमति न देना (16.88 करोड़) शेष बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अगस्त 2003)।

35	56	ग्रामोद्योग	4.23 (28.63)	योजना में जिला ग्रामीण उद्योगों का बंद होना (0.008 करोड़)। शेष बचत के कारणों को सूचित नहीं किया (अगस्त 2003)।
36.	61	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण से संबंधित विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं	3.54 (83.21)	सूचित नहीं किया गया (अगस्त 2003)।
37	64	अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना	43.11 (34.57)	केन्द्रांश का प्राप्त न होना, वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त न होना, जिला से मांग प्राप्त न होना (6.21 करोड़) शेष बचत के कारण सूचित नहीं किया गया (अगस्त 2003)।
38	69	शहरी प्रशासन एवं विकास विभाग - शहरी कल्याण	2.14 (43.83)	सूचित नहीं किया गया (अगस्त 2003)।
39	77	बिलासपुर संभाग में आदिवासी क्षेत्रों के विकास से संबंधित विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं	6.40 (80)	सूचित नहीं किया गया (अगस्त 2003)।
40	78	ग्रामोद्योग विभाग से संबंधित विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं	2.28 (44.47)	सूचित नहीं किया गया (अगस्त 2003)।
41	79	चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय	13.06 (20.77)	सूचित नहीं किया गया (अगस्त 2003)।
42	80	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	45.46 (17.07)	सूचित नहीं किया गया (अगस्त 2003)।
43	82	आदिवासी क्षेत्र उप योजना के अधीन त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	17.33 (17.06)	निधियों के अनुपलब्धता (6.16 करोड़) शेष राशि के बचत के कारणों को सूचित नहीं किये गये (अगस्त 2003)।
		(ख) राजस्व (भारित)		
44	01	सामान्य प्रशासन	1.49 (44.80)	स्वीकृत पदों के विरुद्ध रिक्त पद एवं आर्थिक उपाय (0.26 करोड़) शेष बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अगस्त 2003)।
45	12	ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय	4.54 (45.36)	सूचित नहीं किया गया (अगस्त 2003)।
46	29	न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	1.36 (33.57)	सूचित नहीं किया गया (अगस्त 2003)।
47	81	शहरी निकायों को वित्तीय सहायता	2.87 (47.89)	स्थानीय निकायों के बिलों के प्राप्त न होने के कारण आहरण न होना
		(ग) पूंजीगत (दत्तमत)		
48	06	वित्त विभाग से संबंधित व्यय	6.01 (46.19)	सूचित नहीं किया गया (अगस्त 2003)
49	08	भू-राजस्व एवं जिला प्रशासन	3.79 (92.82)	-तदैव-
50	12	ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय	33.80 (87.11)	सूचित नहीं किया गया (अगस्त 2003)
51	17	सहकारिता	34.51 (64.59)	-तदैव-
52	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	21.03 (99.24)	-तदैव-
53	21	आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय	68.68 (77.04)	राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण की मांग की वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त न होना, मांग प्राप्त न होना (66.10 करोड़) शेष बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अगस्त 2003)।
54	23	जल संसाधन विभाग	39.83 (16.26)	सूचित नहीं किया गया (अगस्त 2003)।
55	30	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय	60.36 (99.67)	-तदैव-
56	37	पर्यटन	4.26 (100)	-तदैव-
57	41	आदिवासी क्षेत्र उप-योजना	78.64 (35.15)	-तदैव-
58	42	आदिवासी क्षेत्र उप योजना सड़क एवं पुल से संबंधित लोक निर्माण कार्य	55.89 (31.85)	कुछ कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति एवं अनुमोदन प्राप्त न होना (55.89)।
59	48	11वें वित्त आयोग के अधीन प्रशासन के उन्नयन के लिये अनुदान	4.45 (20.93)	भारत सरकार से निधियों का प्राप्त न होना (4.44 करोड़)।

60	53	अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना के शहरी निकायों को वित्तीय सहायता	1.00 (100)	नगर पालिकाओं से ऋण के प्रस्तावों का प्राप्त न होना।
61	57	जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं	1.16 (14.49)	सूचित नहीं किया गया (अगस्त 2003)।
62	58	प्राकृतिक आपदाएं एवं सुखा राहत पर व्यय	1.68 (99.99)	सूचित नहीं किया गया (अगस्त 2003)।
63	60	जिला आयोजन योजना से संबंधित व्यय	11.09 (47.64)	सूचित नहीं किया गया (अगस्त 2003)।
64	64	अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना	37.62 (63.89)	सूचित नहीं किया गया (अगस्त 2003)।
65	68	आदिवासी क्षेत्र उप योजना भवनों से संबंधित लोक निर्माण कार्य	27.28 (67.56)	कुछ कार्यों के लिये प्रशासनिक स्वीकृति का प्राप्त न होना एवं विलम्ब से निर्माण के लिये स्थल देना (0.67 करोड़) शेष बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अगस्त 2003)।
(घ) पूंजीगत (भारत)				
66		लोक ऋण	985.75 (70.47)	राज्य सरकार द्वारा अर्थोपाय पेशगियों का प्राप्त न होना (220.48 करोड़) शेष बचत के कारण को सूचित नहीं किये गये (अगस्त 2003)।

परिशिष्ट -VII (i)
(कंडिका 2.3.1 में संदर्भित)

योजनाओं के अधीन सारभूत बचत वाले प्रकरण

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या एवं नाम	योजना का नाम	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	बचत की राशि	बचत का प्रतिशत
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
(क) राजस्व दत्तमत						
1.	06 वित्त विभाग से संबंधित व्यय	2070-800-224 अन्य व्यय	110.00	-	110.00	100%
2.	वित्त विभाग से संबंधित व्यय	2071-01-102-3080 भारत में पेंशन के परिवर्तित मूल्य का भुगतान	25.00	4.31	20.69	83%
3.	07 वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय	2039-104-4173 स्पिरिट का क्रय	29.00	5.09	23.91	82%
4.	12 ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय	2801-80-101-0101-4841 तात्कालिक ऊर्जा विकास परियोजनाओं को सहायता अनुदान	36.33	5.00	31.33	86%
5.	13 कृषि	2401-110-0101-8702 राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना	9.05	0.05	9.00	99%
6.	19 लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2210-03-103-2777 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (मूलभूत सेवा)	16.87	-	16.87	100%
7.	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2211-800-0801-2498 परम्परागत गर्भ निरोधकों की आपूर्ति	5.86	-	5.86	100%
8.	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2211-800-0801-6106 व्यापक टीकाकरण	12.18	-	12.18	100%
9.	23 जल संसाधन विभाग	2701-01-204-2894 बांध एवं नहरें	8.70	0.78	7.92	91%
10.	25 खनिज संसाधन विभाग से संबंधित व्यय	2853-02-797-5390 खनिज निधि को अंतरण	10.00	-	10.00	100%
11.	27 शालेय शिक्षा	2202-01-101-0701-7587 श्यामपट योजना का संचालन	14.70	0.21	14.49	99%
12.	29 न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	2015-105-4311 संसद के निर्वाचन हेतु प्रभार	6.00	0.01	5.99	99.83%
13.	41 आदिवासी क्षेत्र उप योजना	2801-80-796-101-0102-4841 तात्कालिक ऊर्जा विकास परियोजना	10.00	-	10.00	100%
14.	आदिवासी क्षेत्र उप योजना	2505-01-796-702-0702-5372 सम्पूर्ण रोजगार योजनायें	22.80	0.08	22.72	99.64%
15.	आदिवासी क्षेत्र उप योजना	2515-796-102-0802-4855 प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना	45.98	-	45.98	100%
16.	आदिवासी क्षेत्र उप योजना	2408-01-796-190-0802-4987 चलित उचित मूल्य की दुकानों का संचालन	5.00	-	5.00	100 %
17.	आदिवासी क्षेत्र उप योजना	2408-01-796-190-0802-4999 गोडाऊन गिड का निर्माण	5.00	-	5.00	100 %
18.	80 त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2235-60-102-0101-5401 राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	9.00	-	9.00	100 %
योग (क)			381.47	15.53	365.94	

(ख) राजस्व-भारित							
1.		ब्याज भुगतान एवं ऋण सेवा	2049-01-101-5426-7.80 % छत्तीसगढ़ राज्य विकास ऋण - 2012	8.32	0.01	8.31	99.92 %
2.		ब्याज भुगतान एवं ऋण सेवा	2049-01-200-3087 भारतीय जीवन बीमा निगम से ऋण पर ब्याज	6.38	-	6.38	100 %
3.		ब्याज भुगतान एवं ऋण सेवा	2049-01-200-3089 अर्थोपाय पेशगियों पर ब्याज एवं भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त नगदी शेष में कमी को पूरा करना	21.00	-	21.00	100 %
4.		ब्याज भुगतान एवं ऋण सेवा	2049-60-701-4198 शासकीय कर्मचारी समूह बीमा योजना	35.00	-	35.00	100 %
5.		ब्याज भुगतान एवं ऋण सेवा	2049-60-701-4209 शासकीय कर्मचारी परिवार कल्याण निधि पर ब्याज	6.00	-	6.00	100 %
			योग (ख)	76.70	0.01	76.69	
(ग) पूंजीगत - दत्तमत							
1.	12	ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय	6801-800-0101-4842 तात्कालिक ऊर्जा परियोजना के लिये ऋण	38.80	5.00	33.80	87%
2.	17	सहकारिता	4408-02-191-0910-5054 भाण्डागारों का बनाना	14.36	-	14.36	100 %
3.	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	6215-01-101-0101-5368-नवीन शहरीय जल प्रदाय योजनाओं हेतु भारतीय जीवन बीमा निगम से ऋण	20.00	-	20.00	100 %
4.	21	आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय	4216-02-190-0101-4385 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिये आवास योजना	5.00	-	5.00	100 %
5.	24	लोक निर्माण सड़क एवं पुल	5054-04-337-0101-1222 मूलभूत न्यूनतम योजना के तहत ग्रामीण सड़कों का निर्माण	14.54	-	14.54	100 %
6.	30	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय	4515-800-0801-4855 प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना	60.50	0.20	60.30	99.67 %
7.	45	लघु सिंचाई कार्य	4702-101-0101-5059 सुखा उन्मूलन के लिये लघु सिंचाई व्यवस्था	5.00	-	5.00	100 %
10.	68	आदिवासी उपयोजना क्षेत्र लोक निर्माण कार्य- भवनों से संबंधित	4235-02-796-102-0102-337 आगंनवाड़ीयों का निर्माण एवं मरम्मत	11.00	1.97	9.03	82 %
			योग (ग)	169.20	7.17	162.03	
			योग (क)+(ख)+(ग)	627.37	22.71	604.66	

परिशिष्ट -VII (ii)
(कंडिका 2.3.1 में संदर्भित)

वे प्रकरण जिनमें केन्द्रीय योजनाओं के अधीन सम्पूर्ण बजट प्रावधान अप्रयुक्त रहा।

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	अनुदान क्रमांक एवं नाम	लेखा शीर्ष	अप्रयुक्त बजट प्रावधान
1.	2.	3.	4.
(क) केन्द्र प्रवर्तित योजनायें			
1	19 लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2210-06-101-0701-5026 छत्तीसगढ़ राज्य बीमारी सहायता निधि के निर्माण के लिये सहायता अनुदान	1.00
2	37 पर्यटन	5452-01-101-0701-7630 केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में केन्द्रांश	3.00
3	56 ग्रामीण उद्योग	2851-105-0701-5406- छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना	1.61
4	80 त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2202 - 02 - 103 - 0701 - 5303 - अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र (60 : 40) (एस सी आर टी)	1.79
		योग (क)	7.40
(ख) केन्द्रीय क्षेत्र योजनायें			
1	19 लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2211-200-0801-2498 परंपरागत गर्भ निराधकों की आपूर्ति	5.86
2	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2211-800-0801-6106 विश्व व्यापरी निराकरण	12.18
3	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	3606-237-0801-2498 परंपरागत गर्भ निरोधक की आपूर्ति	2.01
4	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	3606-237-0801-4244 मलेरिया	3.51
5	41 आदिवासी क्षेत्र उप योजना	2408 - 01-796-190-0802-4987 चलित उचित मूल्य का संचालन	5.00
6	आदिवासी क्षेत्र उप योजना	2408-01-796-190-0802-4994 गोदाम ग्रीड निर्माण	5.00
7	आदिवासी क्षेत्र उप योजना	6408-01-796-190-0802-4987 चलित उचित मूल्य कार्यक्रम	5.00
8	आदिवासी क्षेत्र उप योजना	6408-01-796-190-0802-4994 गोदाम ग्रीड निर्माण	5.00
		योग (ख)	43.56
		योग (क)+(ख)	50.96

परिशिष्ट -VIII

(कंडिका 2.3.2 में संदर्भित)

अनुदान/विनियोग जिनमें आधिक्य के नियमन की आवश्यकता है

(करोड़ रुपये में)

क्रं. सं.	अनुदान संख्या एवं नाम	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य की राशि	मुख्य कारण
1.	2.	3.	4.	5.	6.
(क) राजस्व दत्तमत					
1	33 आदिवासी कल्याण	298.73	346.83	48.10	सूचित नहीं किये गये (अगस्त 2003)।
2.	37 पर्यटन	3.20	3.24	0.04	सूचित नहीं किये गये (अगस्त 2003)।
3.	45 लघु सिंचाई कार्य	10.29	10.58	0.29	सूचित नहीं किये गये (अगस्त 2003)।
4.	58 प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा राहत पर व्यय	260.68	321.50	60.81	सूचित नहीं किये गये (अगस्त 2003)।
	योग (क)	572.90	682.15	109.24	
(ख) राजस्व भारित					
1.	20 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	0.12	0.13	0.01	सूचित नहीं किये गये (अगस्त 2003)।
2	67 लोक निर्माण भवन	0.07	0.14	0.07	सूचित नहीं किये गये (अगस्त 2003)।
	योग (ख)	0.19	0.27	0.08	
(ग) पूंजीगत दत्तमत					
1.	10 वन	2.02	2.16	0.14	सूचित नहीं किये गये (अगस्त 2003)।
2.	15 अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना के अधीन त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	0.60	0.64	0.04	सूचित नहीं किये गये (अगस्त 2003)।
3.	24 लोक निर्माण सड़क एवं पुल	118.79	123.87	5.08	सूचित नहीं किये गये (अगस्त 2003)।
4.	82 आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	0.64	0.65	0.01	सूचित नहीं किये गये (अगस्त 2003)।
	योग (ग)	122.065	127.317	5.27	
	योग (क)+(ख)+(ग)	695.155	809.737	114.59	

परिशिष्ट -IX

(कंडिका 2.3.4 में संदर्भित)

प्रकरण जिनमें अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ

(करोड़ रुपये में)

क्रं. सं.	अनुदान/विनियोग की संख्या एवं विवरण	मूल अनुदान / विनियोग	पूरक अनुदान / विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत
1.	2.	3.	4.	5.	6.
(क)	राजस्व-दत्तमत				
1.	01 सामान्य प्रशासन	32.66	2.15	27.33	7.48
2.	02 सामान्य प्रशासन से संबंधित अन्य व्यय	2.78	0.44	1.36	1.86
3.	04 गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	2.09	0.05	1.42	0.72
4.	06 वित्त विभाग से संबंधित व्यय	482.42	56.05	399.28	139.19
5.	07 वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय	69.42	6.16	40.36	35.22
6.	08 भू-राजस्व एवं जिला प्रशासन	98.48	0.87	84.66	14.69
7.	10 वन	257.37	0.05	227.11	30.31
8.	11 वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय	13.39	3.50	12.47	4.42
9.	13 कृषि	91.21	0.15	58.69	32.67
10.	15 अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना के अधीन त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	25.05	4.27	21.77	7.55
11.	18 श्रम	8.20	0.37	5.91	2.66
12.	19 लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	187.92	24.92	158.77	54.07
13.	20 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	132.09	6.59	111.74	26.94
14.	21 आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय	17.45	4.41	15.28	6.58
15.	25 खनिज संसाधन विभाग से संबंधित व्यय	15.66	0.07	4.66	11.07
16.	27 शालेय शिक्षा	637.19	18.78	554.51	101.46
17.	28 राज्य विधान सभा	8.42	0.56	6.32	2.66
18.	29 न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	36.26	5.49	23.70	18.05
19.	31 योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग से संबंधित व्यय	6.79	0.26	3.99	3.06

20.	32	जनसम्पर्क विभाग से संबंधित व्यय	13.85	2.18	12.22	3.81
21.	34	सामाजिक कल्याण	7.29	0.54	6.88	0.95
22.	36	परिवहन	9.32	0.74	5.24	4.82
23.	40	आयकर विभाग से संबंधित व्यय	1.04	0.33	0.84	0.53
24.	41	आदिवासी क्षेत्र उप योजना	405.16	132.10	303.21	234.05
25.	44	उच्च शिक्षा	89.36	6.39	78.86	16.89
26.	47	तकनीकी शिक्षा एवं जन शक्ति नियोजन विभाग	42.14	0.74	34.60	8.28
27.	48	11 वें वित्त आयोग के अंतर्गत प्रशासन का उन्नयन	19.28	0.77	12.76	7.29
28.	49	अनुसूचित जाति कल्याण	13.89	0.99	12.99	1.89
29.	51	धार्मिक न्यास एवं धर्मादा	0.63	0.01	0.43	0.21
30.	55	महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित व्यय	113.47	7.94	90.87	30.54
31.	56	ग्रामीण उद्योग	12.17	2.61	10.55	4.23
32.	60	जिला योजनागत योजनायें	13.88	9.40	12.19	11.09
33.	64	अनुसूचित जाति के लिये विशेष घटक योजना	104.30	20.41	81.60	43.11
34.	67	लोक निर्माण भवन	80.45	0.60	76.92	4.13
35.	80	त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	229.81	36.48	220.83	45.46
36.	82	आदिवासी क्षेत्र उप योजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	95.94	5.62	84.23	17.33
		योग (क)	3376.83	362.99	2804.55	935.27
(ख)	राजस्व - भारत					
1		ब्याज भुगतान	922.55	23.32	852.86	93.01
2	01	सामान्य प्रशासन	3.30	0.04	1.84	1.50
3	06	वित्त विभाग से संबंधित व्यय	0.01	0.01	-	0.02
4	07	वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय	7.01	0.02	7.00	0.03
5	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	0.08	0.05	0.01	0.12
6	29	न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	3.98	0.05	2.68	1.35
		योग (ख)	936.93	23.49	864.39	96.03

(ग)	पूँजीगत दत्तमत्त					
1	12	ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय	15.00	23.80	5.00	33.80
2	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	20.80	0.39	0.16	21.03
3	23	जल संसाधन विभाग	244.50	0.40	205.07	39.83
4	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	186.98	36.75	145.09	78.64
5	60	जिला योजनागत योजना से संबंधित व्यय	13.88	9.40	12.19	11.09
6	64	अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना	54.68	4.20	21.26	37.62
		योग (ग)	535.84	74.94	388.77	222.01
(घ)	पूँजीगत भारित					
1		लोक ऋण	1397.99	0.76	413.00	985.75
		योग (घ)	1397.99	0.76	413.00	985.75
		महायोग (क)+(ख)+(ग)+(घ)	6247.59	462.18	4470.71	2239.06

परिशिष्ट -X

(कंडिका 2.3.4 में संदर्भित)

प्रकरण जिनमें प्राप्त अनुपूरक प्रावधान अधिक सिद्ध हुआ

(करोड़ रुपये में)

क्रं. सं.	अनुदान/विनियोग की संख्या एवं विवरण	मूल अनुदान/विनियोग	अनुपूरक अनुदान/विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत
1.	2.	3.	4.	5.	6.
(क)	राजस्व दत्तमत				
1.	03 पुलिस	291.63	32.20	302.52	21.31
2.	05 जेल	19.72	7.47	24.11	3.08
3.	12 ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय	87.32	37.12	96.28	28.16
4.	14 पशु पलान विभाग से संबंधित व्यय	47.80	7.77	49.69	5.88
5.	16 मत्स्य	5.18	0.53	5.18	0.53
6.	17 सहकारिता	9.70	1.83	9.91	1.62
7.	23 जल संसाधन विभाग	82.81	11.13	87.00	6.94
8.	24 लोक निर्माण सड़क एवं पुल	128.37	20.05	132.00	16.42
9.	26 सांस्कृतिक विभाग से संबंधित व्यय	3.13	0.85	3.44	0.54
10.	30 पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय	109.37	71.11	114.40	66.08
11.	39 खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय	187.17	301.20	314.70	173.67
12.	42 आदिवासी क्षेत्र के उपयोजना सड़क एवं पुल से संबंधित लोक निर्माण	59.81	115.70	119.62	55.89
13.	43 खेल एवं युवा कल्याण	1.72	0.45	1.90	0.27
14.	66 पिछड़े वर्गों का कल्याण	18.91	1.63	19.44	1.10
15.	79 चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय	48.04	14.88	49.85	13.07
16.	81 नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	193.52	7.89	198.58	2.83
	योग (क)	1294.20	631.81	1528.62	397.39

1.	2.	3.	4.	5.	6.
(ख)	पूंजीगत दत्तमत				
1	17 सहकारिता	17.39	36.04	18.92	34.51
2	39 खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय	1.00	0.50	1.27	0.23
3	42 आदिवासी क्षेत्र उपयोजना सड़क एवं पुल से संबंधित लोक निर्माण	59.81	115.70	119.62	55.89
4	45 लघु सिंचाई कार्य	20.97	20.00	39.34	1.63
5	57 जल संसाधन विभाग से संबंधित बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनायें	4.50	3.52	6.86	1.16
6	67 लोक निर्माण भवन	36.16	8.37	43.42	1.11
7	75 जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनायें	27.00	6.00	29.74	3.26
8	78 ग्रामीण उद्योग विभाग से संबंधित बाह्य सहायता परियोजनायें	0.50	1.00	1.08	0.42
	योग (ख)	167.33	191.13	260.25	98.21
	महायोग (क) +(ख)	1461.53	822.94	1788.87	495.60
	अतिरिक्त सहायता	कालम 5 (-) कालम 3		327.34	

परिशिष्ट -XI

(कंडिका 2.3.4 में संदर्भित)

प्रकरण जिनमें अनुपूरक प्रावधान अपर्याप्त था

(करोड़ रुपये में)

क्रं. सं.	अनुदान/विनियोग की संख्या एवं विवरण	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	वास्तविक व्यय	अंतिम आधिक्य
1.	2.	3.		4	
(क)	राजस्व दत्तमत				
1	58 प्राकृतिक आपदाओं तथा सूखा राहत पर व्यय	138.41	122.27	321.50	60.82
	योग (क)	138.41	122.27	321.50	60.82
(ख)	पूंजीगत (दत्तमत)				
1.	24 लोक निर्माण सड़क एवं पुल	55.02	63.77	123.87	5.08
	योग (ख)	55.02	63.77	123.87	5.08
	महायोग (क)+ (ख)	193.43	186.04	445.37	65.90

परिशिष्ट -XII

(कंडिका 2.3.5 में संदर्भित)

योजना के अधीन सारभूत आधिक्य वाले प्रकरण

(करोड़ रुपये में)

क्रं. सं.	अनुदान संख्या तथा नाम	योजना का नाम	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	आधिक्य की राशि	आधिक्य का प्रतिशत	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
(क) राजस्व दत्तमत							
1	12	ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय	2045-103-4281 विद्युत शुल्क संग्रहण व्यय	1.09	6.46	5.37	493
2	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2210-03-103-0101 राज्य आयोजनगत योजनायें (सामान्य) 2777 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	20.57	45.85	25.28	123
3	23	जल संसाधन विभाग	2701-03-800-2250 नहरें एवं तालाब	5.00	14.17	9.17	183
4	32	जन संपर्क विभाग से संबंधित व्यय	2220-01-001- राज्य आयोजनगत योजनायें (सामान्य) 2320-निर्देशन एवं प्रशासन	4.77	10.44	5.67	119
5	41	आदिवासी क्षेत्र उप योजना	2505-01-796-701-0702 केन्द्रीय प्रवर्तित योजनायें 5372-सम्पूर्ण रोजगार योजना	5.52	28.24	22.72	412
			योग (क)	36.95	105.16	68.21	
(ख) पूंजीगत (दत्तमत)							
1.	24	लोक निर्माण सड़क एवं पुल	5054-03-101-0101- 4151 वृहद पुलों का निर्माण	1.08	8.27	7.19	666
2		लोक निर्माण सड़क एवं पुल	5054-04-800-0101- 1222 मूलभूत न्यूनतम सेवाओं अंतर्गत ग्रामीण सड़कों का निर्माण	1.12	14.46	13.34	1191
3		लोक निर्माण सड़क एवं पुल	5054-04-800-0101- 2457 न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	0.56	11.55	10.99	1963
			योग (ख)	2.76	34.28	31.52	
			महायोग (क) + (ख)	39.71	139.44	99.73	

परिशिष्ट -XIII

(कंडिका 2.3.6 में संदर्भित)

विवेकहीन अभ्यर्पण/अनियमित/गलत पुनर्विनियोग/अभ्यर्पण

कुछ प्रकरण जिनमें पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा निधियां अविवेकपूर्ण ढंग से आहरित की गयी यद्यपि लेखाओं में पहले से ही अधिक व्यय दर्शाया गया था, का उल्लेख नीचे किया गया है,

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	मांग संख्या तथा लेखा शीर्ष	मूल + पुरक प्रावधान	वास्तविक व्यय	पुनर्विनियोग से पूर्व आधिक्य	पुनर्विनियोग/ अभ्यर्पण	अन्तिम आधिक्य
1	2	3	4	5	6	7
1	03-पुलिस 2055-109-4491 सामान्य व्यय	110.17	123.27	13.10	(-) 1.31	14.41
2	41-आदिवासी क्षेत्र उप योजना 2505-01-796-701-0702-5372 सम्पूर्ण रोजगार योजना	27.55	28.24	0.69	(-) 22.03	22.72
3.	42-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना सड़क एवं पुल से संबंधित लोक निर्माण 5054-03-796-337-0102-3710 राज्य राज मार्ग	6.33	12.27	5.93	(-) 5.03	10.97
4.	42-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना सड़क एवं पुल से संबंधित लोक निर्माण 5054-04-796-800-0102-6590 नाबार्ड ऋण सहायता के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों का निर्माण	21.07	23.34	2.27	(-) 6.39	8.66
5.	80 - त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता 2235-60-102-9142 सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	40.61	48.51	7.9	(-) 1.68	9.58

परिशिष्ट -XIV

(कंडिका 2.3.6 में संदर्भित)

कुछ प्रकरण जिनमें निधियों की उपलब्ध बचत से अधिक पुनर्विनियोग/अभ्यर्पण द्वारा प्रत्याहरण किया गया, परिणाम स्वरूप अंतिम अधिव्यय हुआ

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	मांग संख्या तथा लेखा शीर्ष	मूल + पुरक प्रावधान	वास्तविक व्यय	उपलब्ध बचत	पुनर्विनियोग/अभ्यर्पण	अन्तिम अधिव्यय
1	2	3	4	5	6	7
1	01-सामान्य प्रशासन 2052-090-4327- सचिवालय	15.50	10.96	4.54	4.72	0.18
2.	05-जेल 2056-101-938- केन्द्रीय एवं जिला जेल	18.51	16.64	1.87	2.97	1.10
3.	09-राजस्व विभाग से संबंधित व्यय 2058-102-2820- प्रपत्रों का मुद्रण, भण्डारण एवं वितरण	3.61	1.91	1.70	1.71	0.01
4.	10-वन 2406-01-101-3877 क्षेत्रीय वन वृत्त	88.00	83.06	4.94	7.19	2.25
5.	21-आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय 4216-01-106-0101-7552 कर्मचारियों के लिये आवासीय भवनों का निर्माण	6.00	3.54	2.46	3.00	0.54
6.	21-आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय 4217-01-051-0101-5050 पर्यावरण सुधार	3.00	0.93	2.07	2.10	0.03
7.	24-लोक निर्माण सड़क एवं पुल 5054-03-101-0101 राज्य आयोजनागत योजनायें (सामान्य) 6589- नाबार्ड ऋण सहायता के अंतर्गत वृहद पुलों का निर्माण	16.44	13.63	2.81	6.14	3.33

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8.	33 - आदिवासी कल्याण 2225-02-277-2675 मेट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां	9.69	4.81	4.88	5.39	0.51
9.	33-आदिवासी कल्याण 2225-02-277-0101-1395 छात्रावास	22.71	21.50	1.21	2.24	1.03
10.	41-आदिवासी उप योजना 2406-01-796-800-0910- एन.सी.डी.सी. 5167 - बनोपज संग्रहण के लिये गोदामों का निर्माण	16.69	8.09	8.6	8.59	0.01
11.	41- आदिवासी उप योजना 2225-02-796-277-0102-581 उच्चतर माध्यमिक शाला	21.87	17.98	3.89	5.51	1.62
12.	41-आदिवासी उप योजना 2236-02-796-101-0102-414 आदिवासी क्षेत्रों में विशेष पोषाहार कार्यक्रम	9.30	8.25	1.05	1.16	0.11
13.	41-आदिवासी उप योजना 2236-02-796-101-0102- 4851 प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना	4.95	3.71	1.24	1.54	0.30
14.	47-तकनीकी शिक्षा एवं जन शक्ति नियोजन विभाग 2203-105-0101-2668 पोलेटेकनिक संस्थाएँ	8.63	7.16	1.47	1.49	0.02
15.	47-तकनीकी शिक्षा एवं जन शक्ति योजना विभाग 2203-112-0101-502- इंजीनियरिंग महाविद्यालय	10.70	8.8	1.90	2.00	0.10
16.	48- 11वें वित्त आयोग के अंतर्गत प्रशासन के उन्नयन के लिये अनुदान 4216-01-106-1301-4848 11वें वित्त आयोग के अंतर्गत प्रशासन के उन्नयन के लिये अनुदान	14.14	10.99	3.15	3.61	0.46

17	55- महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय 2235-02-102-0801-5355 एकीकृत बात विकास योजना के अंतर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण	9.86	2.75	7.11	7.26	0.15
18.	55- महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय 2236-02-101-0101-9050 न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषाहार योजना	27.95	23.62	4.33	5.92	1.59
19.	64- अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना 2225-01-789-800-0703-5191 सहायता पुर्नवास सहायता अनु.जा./ ज.जा. के लिए निरोध एक्ट के तहत पुनर्वास सहायता	2.48	1.33	1.15	1.37	0.22
20.	64- अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना 2225-01-793-102-0603-4675 स्वरोजगार योजना	4.35	2.18	2.17	2.18	0.01

परिशिष्ट -XV

(कंडिका 2.3.6 में संदर्भित)

बचत होने पर भी पुनर्विनियोग द्वारा निधियों के अनावश्यक आवर्धन के प्रकरण

(करोड़ रुपये में)

क्रं. सं.	मांग संख्या तथा लेखा शीर्ष	मूल पूरक प्रावधान	वास्तविक व्यय	उपलब्ध बचत	पुनर्विनियोग/ अभ्यर्पण	अन्तिम बचत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	07 - वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय 2039-001-122 अधीक्षण	2.07	1.50	0.57	1.33	1.90

परिशिष्ट -XVI

(कंडिका 2.3.7 में संदर्भित)

बजट प्रावधान का व्यपगमन

(करोड़ रुपये में)

क्रं. सं.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	कुल उपलब्ध बचत	अभ्यर्पित न की गई राशि (कुल बचत का प्रतिशत)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(क) राजस्व दत्तमत				
1.	03	पुलिस	21.31	8.60 (40)
2.	06	वित्त विभाग से संबंधित व्यय	139.19	136.75 (98)
3.	07	वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय	35.22	35.22 (100)
4.	08	भू-राजस्व एवं जिला प्रशासन	14.69	12.10 (82)
5.	10	वन	30.31	5.54 (18)
6.	12	ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय	28.16	28.16 (100)
7.	13	कृषि	32.67	32.67 (100)
8.	14	पशु पालन विभाग से संबंधित व्यय	5.88	5.88 (100)
9.	15	अनुसूचित जातियों हेतु विशेष घटक योजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती-राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	7.55	7.01 (93)
10.	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	54.06	54.06 (100)
11.	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	26.94	26.94 (100)
12.	23	जल संसाधन विभाग	6.94	6.94 (100)
13.	24	लोक निर्माण - सड़क एवं पुल	16.42	11.51 (70)
14.	25	खनिज संसाधन विभाग से संबंधित व्यय	11.07	11.07 (100)
15.	27	शालेय शिक्षा	101.46	101.46 (100)
16.	29	न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	18.05	18.05 (100)
17.	39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय	173.67	173.67 (100)
18.	41	आदिवासी क्षेत्र उप योजना	234.05	107.79 (46)
19.	44	उच्च शिक्षा	16.89	7.29 (43)
20.	64	अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना	43.11	14.69 (34)
21.	79	चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय	13.07	13.07 (100)
22.	80	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का वित्तीय सहायता	45.46	45.19 (99)
23.	82	आदिवासी उप योजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	17.33	8.62 (50)
योग (क)			1093.50	872.27

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(ख)	राजस्व भारित			
24.		ब्याज भुगतान	93.02	93.02(100)
		योग (ख)	93.02	93.02
(ग)	पूँजीगत दत्तमत			
25.	06	वित्त विभाग से संबंधित व्यय	6.01	5.02 (84)
26.	12	ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय	33.80	33.80 (100)
27.	17	सहकारिता	34.51	32.81 (95)
28.	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	21.03	21.03(100)
29.	23	जल संसाधन विभाग	39.83	39.83 (100)
30.	30	पंचायत एवं ग्रामीण विभाग से संबंधित व्यय	60.36	60.36 (100)
31.	41	आदिवासी क्षेत्र उप योजना	78.64	74.40 (95)
32.	60	जिला योजनागत के योजनाओं से संबंधित व्यय	11.09	11.09 (100)
33.	64	अनुसूचितों हेतु विशेष घटक योजना	37.62	24.69 (66)
34.	68	आदिवासी उप योजना भवन से संबंधित लोक निर्माण	27.28	25.03 (92)
		योग (ग)	350.17	328.06
		महायोग (क + ख + ग)	1536.69	1293.35

परिशिष्ट -XVII
(कंडिका 2.3.7 में संदर्भित)
निधियों का अभ्यर्पण

31 मार्च 2003 को कुल राशि के अभ्यर्पण के लिये जारी स्वीकृतियाँ

(रूपये में)

क्रं. सं.		लेखा की प्रकृति	28.2.2003 तक	1.3.2003 से 30.3.2003	31.3.2003 को	योग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	ब्याज भुगतान	राजस्व (भारित)	--	--	--	--
2.	लोक ऋण	पूंजीगत (भारित)	--	--	9,85,74,85,000	9,85,74,85,000
3.	01	राजस्व (दत्तमत)	--	--	5,27,85,496	5,27,85,496
4.		राजस्व (भारित)	--	--	38,95,878	38,95,878
5.	03	राजस्व (दत्तमत)	--	--	12,71,10,000	12,71,10,000
6.		राजस्व (भारित)	--	--	10,37,000	10,37,000
7.	04	राजस्व (दत्तमत)	--	--	37,000	37,000
8.	05	राजस्व (दत्तमत)	--	--	3,12,84,891	3,12,84,891
9.	06	राजस्व (दत्तमत)	--	--	2,44,44,000	2,44,44,000
10.		राजस्व (भारित)	--	--	10,000	10,000
11.		पूंजीगत (दत्तमत)	--	--	99,35,832	99,35,832
12.	08	राजस्व (दत्तमत)	--	--	2,58,60,000	2,58,60,000
13.	09	राजस्व (दत्तमत)	--	--	2,36,82,000	2,36,82,000
14.		पूंजीगत (दत्तमत)	--	--	49,86,000	49,86,000
15.	10	राजस्व (दत्तमत)	--	--	24,76,98,000	24,76,98,000
16.		राजस्व (भारित)	--	--	15,75,000	15,75,000
17.	11	राजस्व (दत्तमत)	--	--	4,32,99,684	4,32,99,684
18.		राजस्व (भारित)	--	--	5,000	5,000
19.		पूंजीगत (दत्तमत)	--	--	41,04,900	41,04,900
20.	15	राजस्व (दत्तमत)	--	--	54,07,959	54,07,959
21.	17	राजस्व (दत्तमत)	--	--	43,49,000	43,49,000
22.		पूंजीगत (दत्तमत)	--	--	1,70,00,000	1,70,00,000
23.	21	राजस्व (दत्तमत)	--	--	9,07,43,000	9,07,43,000

24.		पूंजीगत (दत्तमत)	--	--	67,11,72,000	67,11,72,000
25.	22	राजस्व (दत्तमत)	--	--	19,63,596	19,63,596
26.	24	राजस्व (दत्तमत)	--	--	4,90,90,000	4,90,90,000
27.		राजस्व (भारित)	--	--	40,000	40,000
28.		पूंजीगत (दत्तमत)	--	--	8,19,26,000	8,19,26,000
29.		पूंजीगत (दत्तमत)	--	--	2,04,000	2,04,000
30.	26	राजस्व (दत्तमत)	--	--	51,41,927	51,41,927
31.	30	राजस्व (दत्तमत)	--	--	60,45,92,200	60,45,92,200
32.	32	राजस्व (दत्तमत)	--	--	4,15,16,091	4,15,16,091
33.	33	राजस्व (दत्तमत)	--	--	23,15,45,173	23,15,45,173
34.		राजस्व (दत्तमत)	--	--	1,00,000	1,00,000
35.	34	राजस्व (दत्तमत)	--	--	19,87,000	19,87,000
36.	35	राजस्व (दत्तमत)	--	--	19,43,000	19,43,000
37.		राजस्व (दत्तमत)	--	--	50,000	50,000
38.		पूंजीगत (दत्तमत)		--	50,33,000	50,33,000
39.	40	राजस्व (दत्तमत)	--	50,76,000	--	50,76,000
40.		पूंजीगत (दत्तमत)		5,60,000	--	5,60,000
41.	41	राजस्व (दत्तमत)	--	--	1,26,26,00,012	1,26,26,00,012
42.		पूंजीगत (दत्तमत)		--	4,24,23,000	4,24,23,000
43.	42	पूंजीगत (दत्तमत)	--	--	63,99,53,000	63,99,53,000
44.		पूंजीगत (दत्तमत)	--	--	3,84,000	3,84,000
45.	44	राजस्व (दत्तमत)	--	--	9,60,39,000	9,60,39,000
46.	47	राजस्व (दत्तमत)	--	--	4,53,27,838	4,53,27,838
47.		पूंजीगत (दत्तमत)		--	2,56,300	2,56,300
48.	48	राजस्व (दत्तमत)	--	--	6,40,78,000	6,40,78,000
49.		पूंजीगत (दत्तमत)		--	4,86,50,000	4,86,50,000
50.	49	राजस्व (दत्तमत)	--	--	2,12,44,492	2,12,44,492

51.	53	पूंजीगत (दत्तमत)		--	1,00,00,000	1,00,00,000
52.	55	राजस्व (दत्तमत)	--	--	27,55,58,000	27,55,58,000
53.	58	राजस्व (दत्तमत)	--	--	3,04,03,000	3,04,03,000
54.		राजस्व (दत्तमत)	--	--	20,00,000	20,00,000
55.		पूंजीगत (दत्तमत)		--	1,67,71,000	1,67,71,000
56.	64	राजस्व (दत्तमत)	--	--	28,42,10,177	28,42,10,177
57.		पूंजीगत (दत्तमत)		--	12,93,33,000	12,93,33,000
58.	66	राजस्व (दत्तमत)	--	--	1,19,83,815	1,19,83,815
59.	67	राजस्व (दत्तमत)	--	--	60,900	60,900
60.		पूंजीगत (दत्तमत)	--	--	4,04,47,000	4,04,47,000
61.	68	पूंजीगत (दत्तमत)	20,00,000	--	2,05,00,000	2,25,00,000
62.	69	राजस्व (दत्तमत)	--	--	2,13,32,367	2,13,32,367
63.	76	पूंजीगत (दत्तमत)	--	--	50,00,000	50,00,000
64.	77	पूंजीगत (दत्तमत)	--	--	6,40,00,000	6,40,00,000
65.	80	राजस्व (दत्तमत)	--	--	26,78,000	26,78,000
66.	81	राजस्व (दत्तमत)	--	--	1,48,000	1,48,000
67.		राजस्व (दत्तमत)	--	--	2,87,36,117	2,87,36,117
68.	82	राजस्व (दत्तमत)	--	--	8,71,16,490	8,71,16,490
			20,00,000	56,36,000	15,52,42,73,135	15,53,19,09,135
					99.95%	

परिशिष्ट -XVIII
(कंडिका 2.5 में संदर्भित)

पुनर्विनियोग/अभ्यर्पण की दोषपूर्ण स्वीकृतियां

क्र. सं.	स्वीकृतियों की संख्या	अनुदान संख्या	राशि (लाख रुपये में)	अनियमितताओं के विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	16	ब्याज भुगतान 01,02,03,04,11,25, 29, 36, 37, 41, 46,47, 64, 80,82	15883.60	स्वीकृति की प्राप्ति में विलम्ब
2.	20	6,7,11,12,14,15,16, 18,27,29,40, 43, 56, 64, 71, 78, 80, 81, 82	11,875.52	वित्त वर्ष की समाप्ति के बाद स्वीकृतियाँ जारी की गई थी।
3.	1	56	3.08	एक अनुदान से दूसरे अनुदान को पुनर्विनियोजन
			27,762.20	

परिशिष्ट-XIX
(कंडिका 2.6 में संदर्भित)
मार्च 2003 के दौरान व्यय की अधिकता

(लाख रूपयें में)

क्र. सं.	अनुदान का विवरण	कुल प्रावधान 2002-03	कुल व्यय 2002-03	मार्च 2003 के दौरान व्यय	कुल व्यय की तुलना में मार्च में व्यय का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(अ) : राजस्व-दत्तमत					
1.	05-जेल	27.19	24.11	9.62	39.93
2.	12-उर्जा विभाग से संबंधित व्यय	134.44	101.74	68.79	51.17
3.	15-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	29.91	22.40	8.13	36.29
4.	42-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना सड़क एवं पुल से संबंधित लोक निर्माण कार्य	175.56	119.65	54.16	45.27
5.	48-11वें वित्त आयोग के अधीन प्रशासन के उन्नयन के लिये अनुदान	41.29	29.55	15.91	53.84
6.	51-धार्मिक न्यास एवं धर्मादा	0.64	0.43	0.26	61.93
7.	55-महिला तथा बाल कल्याण से संबंधित व्यय	121.41	90.87	37.09	40.82
8.	60-जिला योजनागत योजना से संबंधित व्यय	23.28	12.19	8.81	72.32
9.	61- सहायता प्राप्त लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण से संबंधित बाह्य परियोजनाएँ	4.25	0.71	0.41	58.37
10.	65-विमानन विभाग	4.90	4.77	1.91	40.09
11.	69-नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग नगरीय कल्याण	8.24	6.10	5.29	86.72
12.	71-पशुपाल विभाग से संबंधित बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएँ	1.99	1.08	0.39	36.67
13.	77-बिलासपुर संभाग में आदिवासी क्षेत्रों का विकास से संबंधित बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएँ	8	1.6	0.6	37.5
14.	78-ग्रामोद्योग विभाग से संबंधित बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएँ	6.63	3.93	1.45	36.89

परिशिष्ट-XX
(कंडिका 2.7.1 में संदर्भित)

अनुदानों की बजट समीक्षा के लिये योजनाओं के अधीन सारभूत बचत

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	अनुदान संख्या एवं योजना	मूल अनुदान	वास्तविक व्यय	बचत
10-वन				
1.	2406-01-001-3555-निर्देशन और प्रशासन	3.62	3.36	0.26
2.	2406-3836-वनोपज	22.88	22.17	0.71
3.	2406-203-535-इमारती लकड़ी का राजकीय व्यापार	26.78	25.45	1.33
4.	2406-204-2901- बांस	12.85	9.50	3.35
33-आदिवासी कल्याण				
5.	2225-0801-2675- मैट्रिक छात्रवृत्तियां	3.50	2.13	1.37
6.	2225-1483- जिला प्रशासन	5.54	4.77	0.77
7.	2225-495-आश्रम और शालाएँ	20.35	16.02	4.33
8.	2225-3673-राज्य छात्रवृत्तियां	18.71	13.41	5.30
9.	2225-1395-छात्रावास	20.71	16.41	4.30
10.	2215-2506-परियोजना छात्रावास	4.39	3.31	1.08
11.	2225-2675- मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां	6.50	5.22	1.28
12.	2225-583-उच्चतर माध्यमिक शालाएँ	55.00	46.46	8.54
13.	2225-307-गैर-सरकारी निकायों को सहायता अनुदान	4.17	2.44	1.73
14-पशुपालन				
14.	2403-1108-गहन पशु विकास परियोजना	7.87	7.10	0.77
15.	2403-1458-महत्वपूर्ण पशुरोगों का विधिवत नियंत्रण	2.36	0.03	2.33
20-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग				
16.	2215-001-2715-निर्देशन और प्रशासन	12.24	10.76	1.48
17.	2215-0801-1095-गतिवर्द्धित ग्रामीण जल प्रदाय योजना	20.00	13.63	6.37
18.	2215-5754-गोबरा नवापारा जल प्रदाय योजना	1.75	0.90	0.85
19.	2215-5099-चरोदा (भिलाई) जल प्रदाय योजना	1.25	-	1.25
20.	2215-5366-बिलासपुर जल प्रदाय योजना	1.00	-	1.00
21.	2215-5367-भिलाई साडा जल प्रदाय योजना	5.00	-	5.00
22.	6215-5368-नवीन शहरी जल प्रदाय योजनाओं हेतु जीवन बीमा निगम ऋण	20.00	-	20.00

17-सहकारिता				
23.	4425-955-केन्द्रीय सहकारी बैंकों की अंश पूंजी में निवेश	2.00	-	2.00
24.	4425-2754-प्राथमिक कृषि साख समितियों की अंश पूंजी में निवेश	3.00	-	3.00
25.	6408-6568-कृषि साख निधि सुधारने हेतु राज्य सहकारी बैंकों को ऋण	2.00	-	2.00
26.	6408-910-कृषि साख निधि सुधारने हेतु अनुदान	2.00	-	2.00
27.	2425-8276-महिला सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता	5.00	-	5.00
28.	6425-8235-महिला सहकारी समितियों को ऋण	5.00	-	5.00

परिशिष्ट-XXI

(कंडिका 2.7.1 में संदर्भित)

वे प्रकरण जिनमें बजट आबंटन के विरुद्ध व्यय नहीं किया गया/कम व्यय किया गया
(लाख रूपयें में)

अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	प्रावधान	वास्तविक व्यय	प्रतिशत
10-वन	2055 (दत्तमत)	77.34	निरंक	0
	2235 (दत्तमत)	0.05	निरंक	0
	2402 (दत्तमत)	5.00	निरंक	0
	6401 (दत्तमत)	1.50	निरंक	0
	7610 (दत्तमत)	1.00	निरंक	0
17-सहकारिता	4408 (दत्तमत)	773.00	निरंक	0
20-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	6215 (दत्तमत)	2050.00	50.00	3
	4215 (दत्तमत)	68.75	16.10	23

परिशिष्ट-XXII (i)
(कंडिका 2.7.1 में संदर्भित)
प्रकरण जिनमें योजनाओं के अंतर्गत अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ
(लाख रुपये में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या और योजना का नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	व्यय	बचत
10-वन					
1.	2406-005-6025-वन सर्वेक्षण और उपयोग	7.50	1.50	6.91	2.09
20-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी					
2.	4215-0101-5403-ग्रामीण नल जल प्रदाय योजना	0	38.75	0	38.75
17-सहकारिता					
3.	4425-2754-प्राथमिक साख समितियों की अंश पूंजी में निवेश	100.00	200.00	--	300.00
4.	4408-5054- भंडारों का निर्माण	42.85	710.15	--	753.00
	योग		950.40		1093.84

परिशिष्ट-XXII(ii)
(कंडिका 2.7.1 में संदर्भित)

प्रकरण जिनमें योजनाओं के अंतर्गत अनुपूरक प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुआ

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या और योजना का नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	व्यय	बचत
14-पशुपालन					
1.	2403-101-2549 आयोजनेत्तर, पशु औषधालय एवं चिकित्सालय	16.87	0.83	17.10	0.60
2.	2403-101-1108- गहन पशु विकास परियोजना	7.05	0.82	7.10	0.77
3.	2403-101-2549 आयोजनागत पशु औषधालय एवं चिकित्सालय	2.15	0.38	2.36	0.17
4.	2403-1342-चारा प्रक्षेत्र योजना का विकास	0.02	0.69	0.52	0.19
5.	2403-8703- दुग्ध उत्पादन एवं अद्योसंरचना	0.40	3.79	3.79	0.40
17-सहकारिता					
6.	2425-5402-एकीकृत सहकारी विकास परियोजना जशपुर (अनुदान)	0.00	0.23	0.13	0.10
7.	6408-5054- भण्डागार का निर्माण (ऋण)	0.63	8.78	6.95	2.46
8.	6425-5402-एकीकृत सहकारी विकास परियोजना जशपुर (ऋण)	0.00	0.24	0.19	0.05
	योग				4.74

परिशिष्ट - XXIII

(कंडिका 2.7.1 में संदर्भित)

योजनाओं के अंतर्गत व्यय की अधिकता

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या / मुख्य शीर्ष और योजनाओं का नाम	कुल व्यय	मार्च में व्यय	प्रतिशत
14-पशुपालन				
1.	2403-101-9491- नये पशु औषधालयों की स्थापना	8.22	5.45	66
2.	2403-3585- खुर एवं मुंह रोग टीकाकरण योजना	24.73	22.27	90
3.	2403-3786-रोगाणुज	21.24	12.86	61
4.	2403-1342- चारा प्रक्षेत्रों का विकास	51.55	50.19	97
5.	2403-8703- दुग्ध उत्पादन एवं अद्योसंरचना	379.20	379.20	100
6.	2403-109-800-8704- अन्य व्यय	55.00	55.00	100
33- आदिवासी कल्याण				
7.	2225-9417- ग्रामीण और शहरी निकायों को उच्चतर माध्यमिक शिक्षा हेतु सहायता अनुदान	18.96	8.19	43
8.	2225-9418- ग्रामीण और शहरी निकायों को माध्यमिक शिक्षा के लिये सहायता अनुदान	37.67	14.82	39
9.	2225-307- गैर-सरकारी संस्थाओं को सहायता अनुदान	244.22	202.21	83
10.	2225-5898- निर्माण कार्य	24.74	10.98	44
11.	2225-172-आदिवासी सहकारी विकास के लिये सहायता अनुदान	3.57	1.75	49

17- सहकारिता				
12.	2425-5422-एकीकृत सहकारी विकास परियोजना रायगढ़	52.72	52.72	100
13.	2425-3350-प्रशिक्षण केन्द्र को दान	2.70	1.35	50
14.	2425-303-गैर-सरकारी व्यक्ति के लिये सहकारी शिक्षा योजना	3.60	1.80	50
15.	2425-6573-कृषि साख स्थिर निधि का सुदृढीकरण	2.00	2.00	100
16.	2425-5402- एकीकृत सहकारी विकास परियोजना जशपुर	12.77	12.77	100
17.	4425-5402 -तदैव-निवेश	42.67	42.67	100
18.	4425-5422 -तदैव-रायगढ़	133.20	133.20	100
19.	6425-5402 -तदैव-जशपुर (निवेश)	18.54	18.54	100
20.	6425-5422- तदैव-रायगढ़	65.57	65.57	100
21.	6425-3242- राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक द्वारा जारी किये गये डिबेन्चरों की खरीद	12.71	12.71	100

परिशिष्ट-XXIV

(कंडिका 2.8 में संदर्भित)

मार्च 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित उन्नयित अनुदातों के विवरणों का उपयोग दर्शाने वाला प्रपत्र

(लाख रुपये में)

क्रं. सं.	खण्ड/योजना	वित्त विभाग द्वारा सूचित किये अनुसार मार्च 2003 तक भारत सरकार से प्राप्त राशि	विभागों द्वारा सूचित किये अनुसार मार्च 2003 तक प्राप्त राशि	वित्त विभाग के आंकड़ों के अनुसार व्यय	विभागों द्वारा सूचित किये गये व्यय	वित्त विभाग के अनुसार प्राप्त निधियों से व्यय का प्रतिशत	विभागों के अनुसार प्राप्त निधियों से व्यय का प्रतिशत	टिप्पणियां
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	जिला प्रशासन	2126.43	2126.43	2126.43	427.96	100	20.13	नौ जिलाध्यक्षों को आबंटित 2126.43 लाख रुपये आवासीय एवं गैर आवासीय क्वार्टरों के निर्माण, वर्ष 202-03 के लिये अद्योसंरचना से संबंधित व्यय की जानकारी संबंधित जिलाध्यक्षों से मंगाई गई है। उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रतीक्षित हैं।
2.	पुलिस							
(36)	पुलिस स्टेशन भवन	188.23	193.72	181.27	60.00	96.30	30.97	पुलिस अधीक्षकों से उपयोगिता प्रमाण पत्र वांछित है। पुलिस स्टेशन भवनों का निर्माण पूर्ण हुआ अथवा नहीं यह संदेहजनक है। मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्यपालन यंत्रियों को राशि आबंटित नहीं की गई थी, अतः व्यय नहीं किया जा सका।
(ब)	महिला कर्मी	57.51	78.53	42.30	42.30	73.55	53.86	संबंधित पुलिस अधीक्षक से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रतीक्षित हैं। 36.23 लाख रुपये " के " डिपोजिट में रखे गये।
(स)	उपकरण और शस्त्र	164.50	164.50	108.90	108.90	66.20	66.20	55.60 लाख रुपये "के " डिपोजिट में रखे गये।

(द)	फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला	72.39	62.39	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	62.39 लाख रुपये की संपूर्ण राशि "के" डिपोजिट के अंतर्गत रखी गई थी।
(3)	जेल प्रशासन	84.46	84.46	79.60	79.60	94.25	94.25	4.86 लाख रुपये "के" डिपोजिट में रखे गये थे। संबंधित कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रतीक्षित हैं।
(4)	अग्नि सेवाएँ	442.81	366.81	383.89	366.81	86.69	100	विभिन्न नगर पालिकाओं द्वारा 209.10 लाख रुपये का व्यय किया जा चुका था। उसी राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी उनके द्वारा दे दिया गया था।
(5)	न्यायिक प्रशासन	791.01	791.01	349.20	320.76	44.14	40.55	320.76 लाख रुपये का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त हो गया था। ग्यारवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार शेष राशि पांच वर्ष के अंदर उपयोग की जावेगी। अतः संपूर्ण राशि का उपयोग नहीं किया जा सका।
(6)	राजकोषीय प्रशासन	315.00	315.00	10.84	10.84	3.44	3.44	304.16 लाख रुपये "के" डिपोजिट में रखे गये कोषालयों के कम्प्यूटरीकरण कर प्रथम चरण पूरा किया गया। भारत सरकार द्वारा वेट योजना के क्रियान्वयन में विलम्ब के कारण 150.00 लाख रुपये का उपयोग नहीं किया जा सका।
(7)	स्वास्थ्य सेवाएँ	603.30	593.30	591.04	591.01	97.97	97.97	वित्त विभाग द्वारा स्वास्थ्य विभाग को 10.00 लाख रुपये कम विमुक्त किये गये।
(8)	प्राथमिक शिक्षा	590.83	617.14	448.23	448.23	75.86	94.00	संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रतीक्षित हैं। 474.99 लाख रुपये की राशि, निर्माण कार्यों हेतु क्रियान्वयन एजेंसियों को विमुक्त किये जा चुके थे, सम्पूर्ण राशि को विमुक्त न किये जाने के कारण नहीं बताये गये थे।
(9)	कम्प्यूटर शिक्षा	619.20	381.20	68.80	निरंक	11.11	निरंक	68.80 लाख रुपये आहरित कर के डिपोजिट में रखे गये थे। शासन स्तर पर निर्णय न लिये जाने के कारण, शेष राशि आहरित नहीं की जा सकी।
(10)	सार्वजनिक पुस्तकालय	37.20	37.20	37.20	27.20	100	73.12	10.00 लाख रुपये "के" डिपोजिट में रखे गये थे। शासन द्वारा शिक्षा विभाग को ग्रंथ संग्रह निधियों के सृजन हेतु प्राधिकृत किया गया था।
(11)	पुरातन धरोहर संरक्षण	26.34	26.34	26.34	17.56	100	66.67	8.78 लाख रुपये "के" डिपोजिट में रखे गये थे। उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रतीक्षित हैं।

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
(12)	परंपरागत जल संसाधनों का संवर्धन	744.87	795.28	708.38	566.12	95.10	71.18	
(अ)	राजस्व विभाग	--	349.24	303.69	161.43	--	--	मार्च 2003 तक 349.24 लाख रुपये आबंटित किये गये थे, 161.43 लाख रुपये का व्यय दर्शाया गया था परंतु उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रतीक्षित हैं।
(ब)	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	--	446.04	404.69	404.69	--	--	वित्त विभाग द्वारा 367.04 लाख रुपये विमुक्त किये गये थे जबकि लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा सूचित किया गया कि 446.04 लाख रुपये प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त प्रमुख अभियंता द्वारा कुल 328.00 लाख रुपये की राशि (2001-02 158.00 लाख रुपये, 2002-03: 170.00 लाख रुपये) पूरे राज्य में मुक्त की गई थी, 404.69 लाख रुपये व्यय दर्शाया गया था। अतः व्यय के आंकड़े गलत प्रतीत होते हैं। उपयोगिता प्रमाण-पत्र केवल 169.22 लाख रुपये के लिये ही प्राप्त हुए हैं।
	महायोग	6864.17	6633.31	5162.42	3067.29			

परिशिष्ट -XXV

(कंडिका 3.1.4 में संदर्भित)

2000-2003 के दौरान सतत बचत वाले महत्वपूर्ण प्रकरणों को दर्शाने वाला पत्रक

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	शीर्ष	कुल प्रावधान से बचत के प्रतिशत सहित बचत की राशि		
		2000-01	2001-02	2002-03
1.	2401- फसल कृषि कर्म 001- निदेशन और प्रशासन 4288- संचालन (मुख्यालय स्तरीय अमला)	25.50 (52)	92.41 (53)	60.52 (40)
2.	0101- राज्य आयोजना योजनाएं 4112- राज्य आयोजना के प्रथम चरण के लिये व्यय गहन विस्तार परियोजना	28.79 (19)	373.82 (56)	26.29 (7)
3.	102- खाद्यान्न फसलें 0701- केन्द्र प्रवर्तित योजनाएँ 921- दलहन फसल उत्पादन	30.18 (99)	88.40 (85)	12.79 (43)
4.	105- खाद और उर्वरक 0101- राज्य आयोजना योजनाएं 1060- खाद गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोग शाला की स्थापना	4.39 (58)	7.70 (58.7)	--
5.	107- पौध संरक्षण योजना 0101- राज्य आयोजना योजनाएं 2680- पौध संरक्षण योजना	9.94 (66)	20.51 (56.9)	15.86 (52)
6.	108- वाणिज्यिक फसलें 0801- केन्द्र क्षेत्रीय योजनाएँ 4838- सूक्ष्म प्रबंधन कार्ययोजना	81.97 (14)	1051.55 (52)	811.94 (49)
7.	113- कृषि यांत्रिकी 4204- शासकीय मशीन ट्रैक्टर स्टेशन योजना	19.70 (35)	15.50 (13)	18.88 (15)
8.	119- उद्यानिकी और सब्जियों की फसलें 0101- राज्य आयोजना योजनाएं 2013- नये उद्यानों तथा पौध शालाओं की स्थापना	104.92 (43)	133.87 (25)	60.31 (14)
9.	655- एकीकृत उद्यानिकी विकास	60.39 (66.5)	71.26 (40)	57.35 (36)
10.	2851- बड़े शहरों के आसपास सब्जियों के उत्पादन की योजना	9.66 (55)	15.33 (60)	1.94 (11)
11.	9188- उद्यानिकी विकास कार्यक्रम	20.51 (46.6)	32.57 (30)	13.23 (13)
12.	110- फसल बीमा 0101- राज्य आयोजना योजना 8702- राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना	100.00 (81)	1443.90 (38)	900.78 (99)
	योग	495.95	3346.82	1979.89

परिशिष्ट -XXVI

(कंडिका 3.1.4 में संदर्भित)

बिना आवश्यकता के निधियों के आहरणों को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(लाख रुपये में)

वर्ष	आहरण एवं संवितरण अधिकारी का नाम	अग्रिम रूप में आहरित राशि	एजेंसी का नाम जिसको भुगतान किया गया	उद्देश्य
2000-01	उप संचालक कृषि जगदलपुर (बस्तर)	0.47	इंद्रा गांधी कृषि विश्वविद्यालय	प्रमाणीकृत बीजों की लागत
	- तदैव -	1.26	कृषि यंत्री रायपुर	कृषि उपकरण
	- तदैव -	0.21	मध्य प्रदेश बीज विकास निगम	प्रमाणीकृत बीजों की लागत
	उप संचालक उद्यानिकी रायपुर	12.68	मध्य प्रदेश स्टेट एग्री कारपोरेशन	ड्रिप सैट प्रदाय हेतु
		14.62		
2001-02	उप संचालक कृषि अम्बिकापुर (सरगुजा)	2.43	मंडी बोर्ड	धान बीज और आई पी एम किट
	उप संचालक कृषि रायपुर	50.00	- तदैव -	प्रमाणीकृत धान बीजों की लागत
	उप संचालक उद्यानिकी रायपुर	15.00	विपणन संघ छत्तीसगढ़ राज्य	ड्रिप सैट के प्रदाय हेतु
		67.43		
2002-03	उप संचालक कृषि अम्बिकापुर	4.49	इंदिरा गांधी कृषि विश्व विद्यालय	स्प्रिंकलर और बीजों के प्रदाय हेतु
	- तदैव -	0.53	- तदैव -	लघु उद्बहन पम्पों के प्रदाय हेतु
	उप संचालक कृषि जगदलपुर (बस्तर)	0.20	- तदैव -	कृषि उपकरण
	- तदैव -	0.46	मंडी बोर्ड	आई पी एम किटें
	- तदैव -	0.01	कृषि यंत्री जगदलपुर	कृषि उपकरण
		5.69		
	महायोग	87.74		

परिशिष्ट -XXVII

(कंडिका 3.1.4 में संदर्भित)

लंबित विस्तृत आकस्मिकता बिलों को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(लाख रूपये में)

क्र. सं.	जिले का नाम	आहरण एवं संवितरण अधिकारी का नाम	वर्ष	विस्तृत आकस्मिकता बिलों की असमायोजित राशि
1.	रायपुर	सहायक भू-संरक्षण अधिकारी बालौदा बाजार	मई 1999	2.00
2.	बस्तर	सहायक भू-संरक्षण अधिकारी जगदलपुर	नवम्बर 1990 से जनवरी 1997 तक	13.47
3.	कोरिया	सहायक भू-संरक्षण अधिकारी बैकुठपुर	मार्च 1994	5.94
4.	दंतेवाडा	सहायक भू-संरक्षण अधिकारी बीजापुर	मार्च 1992 से मार्च 1993 तक	62.51
5.	- तदैव -	अनुविभागीय अधिकारी बीजापुर	जनवरी से जून 1993 तक	6.18
6.	कांकेर	सहायक भू-संरक्षण अधिकारी कांकेर	1992 से 1999 तक	37.47
7.	बिलासपुर	सहायक भू-संरक्षण अधिकारी पेन्द्रा रोड	मार्च 1993 से मार्च 1996 तक	12.69
8.	रायपुर	सहायक भू-संरक्षण अधिकारी (एस एम एस)	जुलाई 2002	1.40
9.	राजनांदगांव	सहायक भू-संरक्षण अधिकारी राजनांदगांव	2000-2002	22.25
10.	जांजगीर - चांपा	सहायक भू-संरक्षण अधिकारी सक्ति	मार्च 1995	8.90
		महायोग		172.81

परिशिष्ट -XXVIII
(कंडिका 3.1.5 में संदर्भित)

राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना के अंतर्गत 2001-03 की अवधि के लिये भौतिक और वित्तीय शर्तों में अवयव वार लक्ष्य तथा उपलब्धियों को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(लाख रूपयें में)

क्र. सं.	अवयव	भौतिक				वित्तीय		
		इकाई	भारत सरकार लक्ष्य	राज्य लक्ष्य	उपलब्धियां	भारत सरकार लक्ष्य	राज्य लक्ष्य	उपलब्धियां
	बीज क्षेत्र							
1.	प्रजनन बीजों की खरीद	क्विंटल	88	195.40	124.35	3.50	7.82	5.47
2.	आधार बीजों का उत्पादन	"	1900	1185.80	236.35	9.50	5.93	1.40
3.	एस वी एस के अंतर्गत प्रमाणित बीजों का उत्पादन	"	3400	2767.00	351.16	17.00	13.84	1.67
4.	प्रमाणित बीजों का वितरण	"	2563	2410.00	3275.74	20.50	19.28	17.53
	योग					50.50	46.87	26.07
	गैर बीज क्षेत्र							
5.	बीजों की मिनी किटों का वितरण	संख्या	-	33777	33167	-	-	1.30
6.	बाधाओं का प्रदर्शन	हैक्टेयर	604	592.00	636.00	13.50	13.24	13.56
7.	एकीकृत लेप प्रबंधन प्रदर्शन	"	933	871.00	891.00	14.00	13.04	13.61
8.	बीजोपचार	"	5500	7096.00	15345.32	5.50	7.10	10.17
9.	राइजोवियम कल्चर का वितरण	"	8000	8000.00	43025.00	4.00	4.00	9.64
10.	पौध संरक्षण रसायन	"	-	-	-	-	-	-
11.	पौध संरक्षण उपकरण	संख्या	679	979	2334	9.50	12.52	11.98
12.	उन्नत प्रक्षेत्र उपकरण	"	180	272	578	9.00	6.88	1.97
13.	स्प्रिंकलर सैटों का वितरण	"	380	399	220	25.00	27.38	14.17
14.	जिप्सम पाइराइट का वितरण	हैक्टेयर	1340	943	1207.00	6.70	4.72	4.76
15.	सूक्ष्म पोषक	"	1500	2494	2345.00	3.00	4.99	5.60
16.	कृषक प्रशिक्षण	संख्या	39	40	33.00	6.00	6.00	4.74
17.	अमला आकस्मिकता	"	-	-	-	-	-	-
18.	पोड वोरर के लिये एन पी वी वितरण	"	-	-	-	-	-	0.78
	योग					96.20	99.87	92.28
	महायोग					146.70	146.74	118.35

परिशिष्ट -XXIX
(कंडिका 3.1.5 में संदर्भित)

तिलहन उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत 2001-03 के दौरान घटक वार भौतिक और वित्तीय लक्ष्य तथा उपलब्धियां दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(लाख रुपये में)

क्रं. सं.	घटक	भौतिक				वित्तीय		
		इकाई	भारत सरकार लक्ष्य	राज्य लक्ष्य	उपलब्धियां	भारत सरकार लक्ष्य	राज्य लक्ष्य	उपलब्धियां
	बीज क्षेत्र							
1.	प्रजनन बीजों की खरीद	क्विंटल	105	76.30	48.25	4.00	2.89	1.59
2.	आधार बीजों का उत्पादन	'	1800	1250	129.15	9.00	6.25	0.89
3.	प्रमाणित बीजों का वितरण	'	3750	9355.55	11605.48	30.00	58.33	31.78
4.	प्रमाणित बीजों का उत्पादन (एस बी एस)	'	7400	5000	12.85	37.00	25.00	0.03
	योग					80.00	92.47	34.29
	गैर बीज क्षेत्र							
5.	बाधाओं का प्रदर्शन	हैक्टेयर	865	865	5564	17.30	25.59	35.70
6.	उन्नत प्रक्षेत्र उपकरण	संख्या	360	254	530	18.00	10.06	1.69
7.	स्प्रिंकलर सैट्स का वितरण	"	328	328	199	41.00	41.00	14.30
8.	बीजोपचार	हैक्टेयर	4000	6228	18043	4.00	6.23	26.02
9.	एकीकृत लेप प्रबंधन (आई पी एम)	'	1041	713	878	15.60	10.70	17.91
10.	पौध संरक्षण उपकरण	संख्या	785	858	1749	11.00	11.00	13.24
11.	राइजोवियम कल्चर का वितरण	हैक्टेयर	6000	6000	13137	3.00	3.00	18.96
12.	जिप्सम पाइराइट का वितरण	'	5000	3551	3738	25.00	17.32	13.16
13.	सूक्ष्म पोषक	'	3500	3000	3756	7.00	6.00	6.77
14.	पौध संरक्षण रसायन	'	1400	1065	1935	7.00	5.33	11.27
15.	मिनी किटों का वितरण	संख्या	-	57500	89189	-	-	1.37
16.	कृषक प्रशिक्षण	'	73	73	62	11.00	10.95	8.90
17.	आकस्मिकता	-	-	-	-	-	-	-
	योग					159.90	147.18	169.29
	महायोग					239.90	239.65	203.58

परिशिष्ट -XXX
(कंडिका 3.1.5 में संदर्भित)

2000-2003 के दौरान उद्यानों की मजदूरी अनुरक्षण पर व्यय और आय को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(लाख रुपये में)

जिले का नाम	उद्यानों की संख्या	2000-01			2001-02			2002-03		
		मजदूरी अनुरक्षण आदि पर व्यय	कुल आय	राजस्व से अधिक व्यय	मजदूरी अनुरक्षण आदि पर व्यय	कुल आय	राजस्व से अधिक व्यय	मजदूरी अनुरक्षण पर व्यय	कुल आय	राजस्व से अधिक व्यय
अम्बिकापुर	13	33.47	19.09	14.38	48.73	15.58	33.15	54.18	17.76	36.42
बिलासपुर (x)	10	16.28	10.48	5.80	13.70	7.85	5.85	10.97	5.05	5.92
जगदलपुर (xx)	8	11.88	2.00	9.88	19.80	2.46	17.34	32.03	4.54	27.49
रायपुर	3	1.33	0.66	0.67	10.69	7.05	3.64	12.27	10.46	1.81
योग	34	62.96	32.23	30.73	92.92	32.94	59.98	109.45	37.81	71.64

2000 से 2003 के दौरान कुल व्यय = 2.65 करोड़ रुपये

2000 से 2003 तक के दौरान कुल प्राप्तियां = 1.03 करोड़ रुपये

हानि हुई (2.65 करोड़ रुपये- 1.03 करोड़ रुपये)= 1.62 करोड़ रुपये

परिशिष्ट -XXXI
(कंडिका 3.2.7 (ख) में संदर्भित)

सूक्ष्म लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत अपूर्ण कार्यों को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	जिले का नाम	क्रियान्वयन इकाई का नाम	अपूर्ण कार्य का नाम	स्वीकृति का वर्ष	स्वीकृत राशि	व्यय	कारण
1.	बिलासपुर	सहायक भू-संरक्षण अधिकारी एन डब्ल्यू एस पैन्ड्रा रोड	मोह बंधा लघु सिंचाई तालाब	2000-01	4.94	2.35	भूमि का झगड़ा
2.	राजनांदगांव	सहायक भू-संरक्षण अधिकारी राजनांदगांव	खापारी मसोई लघु सिंचाई तालाब	1998-99	5.39	1.18	अपूर्ण
3.	बिलासपुर	सहायक भू-संरक्षण अधिकारी बिलासपुर	वाशा लघु सिंचाई तालाब	2000-01	9.88	7.59	'
4.	बिलासपुर	सहायक भू-संरक्षण अधिकारी बिलासपुर	कापरिया खुर्द लघु सिंचाई तालाब	2001-02	8.21	8.20	'
5.	बिलासपुर	सहायक भू-संरक्षण अधिकारी बिलासपुर	केकिटी लघु सिंचाई तालाब	2001-02	3.83	3.80	'
6.	बिलासपुर	सहायक भू-संरक्षण अधिकारी बिलासपुर	कुसेली लघु सिंचाई तालाब	2001-02	4.48	4.41	'
7.	रायपुर	सहायक भू-संरक्षण अधिकारी रायपुर	मानपासर लघु सिंचाई तालाब	1998-99	7.57	7.00	'
8.	रायपुर	सहायक भू-संरक्षण अधिकारी रायपुर	मोखला लघु सिंचाई तालाब	1999-2000	9.13	8.95	'
9.	रायपुर	सहायक भू-संरक्षण अधिकारी रायपुर	सेमरा लघु सिंचाई तालाब	1999-2000	9.94	2.00	'
10.	रायपुर	सहायक भू-संरक्षण अधिकारी रायपुर	उल्वा लघु सिंचाई तालाब	2000-01	7.31	2.00	'
11.	रायपुर	सहायक भू-संरक्षण अधिकारी रायपुर	लमकानी लघु सिंचाई तालाब	2000-01	4.39	1.00	'
12.	दंतेवाड़ा	सहायक भू-संरक्षण अधिकारी दंतेवाड़ा	पोन्डम लघु सिंचाई तालाब	1998-99	7.40	5.93	'
13.	दंतेवाड़ा	सहायक भू-संरक्षण अधिकारी दंतेवाड़ा	इछोवारा लघु सिंचाई तालाब	1998-99	9.99	9.50	'
14.	दंतेवाड़ा	सहायक भू-संरक्षण अधिकारी दंतेवाड़ा	विरस्टव पाल लघु सिंचाई तालाब	1998-99	3.69	3.10	'
15.	दंतेवाड़ा	सहायक भू-संरक्षण अधिकारी दंतेवाड़ा	चिरपुर पाल लघु सिंचाई तालाब	1998-99	3.14	0.51	'
16.	दंतेवाड़ा	सहायक भू-संरक्षण अधिकारी दंतेवाड़ा	चनपेल लघु सिंचाई तालाब	2001-02	11.55	1.70	'
17.	दंतेवाड़ा	सहायक भू-संरक्षण अधिकारी दंतेवाड़ा	कोया वेकोर लघु सिंचाई तालाब	2001-02	9.79	4.00	'
18.	कवर्धा	सहायक भू-संरक्षण अधिकारी कवर्धा	सिंचाई तालाब शोभनापुर	2001-02	17.24	8.50	
19.	कवर्धा	सहायक भू-संरक्षण अधिकारी कवर्धा	लता ईमी तालाब	2001-02	7.79	3.86	
20.	जगदलपुर (बस्तर)	सहायक भू-संरक्षण अधिकारी कोंडागांव	मालगांव जल फसल तालाब	2000-01	-	1.49	
महायोग						87.07	

परिशिष्ट -XXXII

(कंडिका 3.2.5 एवं 3.2.6 में संदर्भित)

छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य समिति (एड्स उप समिति) की वित्तीय स्थिति का विवरण पत्रक

(लाख रुपये में)

कार्य योजना का सरल क्रमांक	घटक का नाम	कार्य योजना में अनुमोदित बजट			राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन से प्राप्त राशि		राज्य एड्स नियंत्रण संस्था द्वारा आवंटित राशि			कुल आबंटन	सूचित व्यय			शेष	
		2001-02	2002-03	योग	2001-02	2002-03	2001-02	प्रारंभिक शेष	2002-03		2002-03 (9+10)	2001-02	2002-03	योग	2001-02 (8-12)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.	उच्च जोखिम समूह के मध्य निवारण सहित एच आई वी / एड्स के विरुद्ध प्राथमिकता के आधार पर लक्षित हस्तक्षेप														
1.1	लघु सिविल कार्य	2.60	5.00	7.60	टीप	टीप			4.8	4.80		0.80	0.80		4.00
1.2	लैंगिक संप्रेषित रोग चिकित्सालयों हेतु उपभोज्य एवं दवाइयों की खरीद हेतु अनुदान	9.00	15.00	24.00			9.00	4.00	11.00	15.00	5.00	7.23	12.23	4.00	7.77
1.2.1	लैंगिक संप्रेषित चिकित्सालयों के लिये उपकरण	--	5.00	5.00					4.50	4.50		1.50	1.50		3.00
1.2.2	निरोध प्रोत्साहन एवं प्राप्ति	--	20.00	20.00						0		0	--		0.00
1.4	लक्षित हस्तक्षेप हेतु गैर-सरकारी संगठनों का सहयोग	70.20	40.00	110.20						0		0	--		0.00
1.5	उच्च जोखिम समूह के रेंखाकन एवं लक्षित हस्तक्षेप परियोजनाओं के मूल्यांकन हेतु परामर्शदात्री सेवाएँ	--	5.00	5.00						0		0	--		0.00
	उप - योग	81.80	90.00	171.80			9.00	4.00	20.30	24.30	5.00	9.53	14.53	4.00	14.77
2	निम्न जोखिम समूह के मध्य रोकथाम सहित सामान्य समुदाय हेतु रोकथाम एवं हस्तक्षेप														

2.1	रक्त बैंकों एवं स्वेच्छिक परामर्श प्रशिक्षण केन्द्रों हेतु लघु निर्माण कार्य	--	10.00	10.00					8.26	8.26		0.80	0.80		7.46
2.2	सूचना, शिक्षा, संचार और जागरूकता	75.40	43.89	119.29					36.72	36.72		36.72	36.72		0.00
2.3	स्कूल एड्स शिक्षा कार्यक्रम	9.10	20.00	29.10						0		0	--		0.00
2.4	स्वैच्छिक परामर्श केन्द्र	24.70	27.40	52.10			1.26	1.26	6.88	8.14	0	2.29	2.29	1.26	5.85
2.5	रक्त सुरक्षा	38.72	35.00	73.72			25.87	9.47	37.26	46.73	16.40	33.58	49.98	9.47	13.15
2.6	नवीन रक्त बैंक हेतु उपकरण		7.50	7.78					15.90	15.90		11.68	11.68		4.22
2.7	चिकित्सा महाविद्यालय एवं जिला अस्पतालों में मां से शिशु संप्रेषण परियोजना हेतु उपकरणों की प्राप्ति	--	6.21	6.21						0		0			0.00
2.8	परिवार स्वास्थ्य जागरूकता अभियान	79.50	--	79.50	79.50		79.50	13.64		13.64	65.86	8.21	74.07	13.64	5.43
	उप योग	227.705	150.000	377.70	79.50	--	106.63	24.37	105.02	129.39	82.26	93.28	175.54	24.37	36.11
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3	कम लागत पर एड्स की देखभाल														
3.1	ओ आई और पी ई पी ड्रग्स के लिये दवाइयां	3.90	5.00	8.90					5.00	5.00		4.99	4.99		0.01
	उप योग	3.90	5.00	8.90			0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	4.99	4.99	0.00	0.01
4.	संस्थानों का सुदृढीकरण												--		
4.1	वाहनों की खरीद	--	9.00	9.00					7.72	7.72		7.72	7.72		0.00
4.2	चौकसी, निगरानी करना	--	8.00	8.00					3.79	3.79		3.60	3.60		0.19
4.3	प्रशिक्षण और मित्रता	26.00	40.00	66.00					8.88	8.88		8.88	8.88		0.00
4.4	परिवीक्षण और मूल्यांकन	--	0.00	0.00						0		0	--		0.00
4.5	नियमित और ठेके पर अमले का वेतन	26.00	33.00	59.00					10.46	10.46		10.46	10.46		--

4.6	फर्नीचर, उपस्कर और कार्यालय उपकरण	3.90	20.00	23.90					18.02	18.02		18.02	18.02		--
4.7	कार्यालय, उपकरण और वाहनों का अनुसंधान	7.80	10.00	17.80			13.87	13.68	5.81	19.49	0.19	3.02	3.21	13.68	16.47
	उप योग	63.70	120.00	183.70			13.87	13.68	54.68	68.36	0.19	51.70	51.89	13.68	16.66
5	अंतर्देशीय सहयोग												--		
5.1	सूचना, शिक्षा, संचार और जागरूकता	5.2	5.00	10.20								0	--		0.00
	उप-योग	5.20	5.00	10.20			0.00	0.00	0.00		0.00		---	0.00	0.00
	महायोग	382.31	370.00	752.305	129.50	185.00	129.50	42.05	185.00	227.05	87.45	159.50	246.95	42.05	67.55

टीप -राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन से घटक वार निधियां प्राप्त नहीं हुई थीं, 2001-02 में 50.00 लाख रुपये विमुक्त किये गये थे तथा 2002-03 में 185.00 लाख रुपये विमुक्त किये गये थे।

परिशिष्ट -XXXIII

(कंडिका 3.2.6 में संदर्भित)

शिविरों में उपस्थित व्यक्तियों तथा पुनरुत्पादक क्षेत्र संप्रेषित संक्रमण के संदर्भित एवं उपचारित प्रकरणों की संख्या दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(जिला एवं राज्य प्रतिवेदनों के अनुसार)

क्रं. सं.	जिले का नाम	15 से 49 वर्ष की जनसंख्या का अनुमानित लक्ष्य	शिविरों में उपस्थित हुए व्यक्तियों की वास्तविक संख्या	उपस्थिति का प्रतिशत	संदर्भित किये गये आर आई टी / लैंगिक संप्रेषित संक्रमण प्रकरणों की संख्या	उपचारित व्यक्तियों की संख्या	उपचार में कमी का प्रतिशत
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	6.
1	बिलासपुर	7,97,219	117793	15	2964	11,188	
2	दंतेवाड़ा	3,46,303	155364	45	4115	3,134	24
3	धमतरी	248150	8218	3	437	5,258	
4	दुर्ग	1023015	24302	2	1976	7,447	
5	जगदलपुर (बस्तर)	508423	62798	12	4623	4,111	11
6	जांजगीर (चांपा)	454830	122045	27	1439	957	34
7	जशपुर	253785	18184	7	1769	4,813	
8	कांकेर	352511	118654	34	918	2,941	14
9	कवर्धा	254083	48749	19	3966	2,971	25
10	कोरबा	295005	150392	51	2155	1,707	21
11	कोरिया	207610	17335	8	3413	2,969	13
12	महासमुन्द	174663	9269	12	863	963	
13	रायगढ़	485975	129376	27	4267	2,984	30
14	रायपुर	783137	33330	4	791	6,738	
15	राजनंदगांव	671000	27009	4	3578	2,624	27
16	सरगुजा	824631	299973	36	32387	23,959	26
	योग	7680340	1342791	17	69661	84,764	
	राज्य प्रतिवेदन के अनुसार	7278235	1342791	18	72156	81796	

परिशिष्ट -XXXIV

(कंडिका 3.4.7 में संदर्भित)

नवम्बर 2000-01 से लागू अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछडा वर्ग के छात्रों के लिये देय छात्रवृति की दरें ।

(राशि रुपये में)

क्र.सं.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति			अन्य पिछडा वर्ग	
	कक्षा	लडके	लडकियां	लडके	लडकियां
1.	3 से 5	--	150	--	--
2.	6 से 8	200	300	150	225
3.	9 से 10	300	400	225	300
2001-02 से लागू					
1.	3 से 5	--	250	--	--
2.	6 से 8	300	400	150	225
3.	9 से 10	400	500	225	300

परिशिष्ट -XXXV

(कंडिका 3.3.7 में संदर्भित)

विलंब से मुक्त की गयी छात्रवृत्ति दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(लाख रुपये में)

पत्र संख्या और दिनांक	छात्रवृत्ति की प्रकृति	वर्ष से संबंधित छात्रवृत्ति	वर्ष के दौरान आबंटन	जिले का नाम	विमुक्त की गई राशि	कुल राशि
आयुक्त आदिवासी विकास रायपुर क्रं. बजट/3 /2001- 02/77 दिनांक 28.11.01	मैट्रिकोत्तर अन्य पिछड़ा वर्ग को छात्रवृत्ति	2000-2001	2001-2002	जांजगीर	रूपये 52.28	52.28
आयुक्त आदिवासी विकास रायपुर क्रं. बजट/3 /2002- 03/4658 दिनांक 27.5.02		2000-01	2002-03	सरगुजा	रूपये 7.01	7.01
आयुक्त आदिवासी विकास रायपुर क्रं. बजट/3 /2002- 03/5534 दिनांक 2.7.02	-तदैव	2001-2002	2002-2003	जांजगीर	रूपये 5.15	
	-तदैव	2001-2002	2002-2003	दुर्ग	रूपये 57.67	
	पूर्व माध्यमिक अन्य पिछड़ा वर्ग को छात्रवृत्ति	-तदैव-	-तदैव-	दुर्ग	रूपये 10.00	72.82
					महायोग	132.11

परिशिष्ट -XXXVI

(कंडिका 3.3.7 में संदर्भित)

सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास रायपुर कार्यालय में छात्रवृत्ति की स्वीकृति और भुगतान में विलम्ब को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(लाख रुपये में)

छात्र वृत्ति की प्रकृति	कार्यालय का नाम	वर्ष से संबंधित छात्रवृत्ति	वर्ष के दौरान स्वीकृति और भुगतान	राशि	धनादेश क्रमांक एवं दिनांक
अन्य पिछड़ा वर्ग मैट्रिकोत्तर	शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मांढर	2001-02	2002-03	0.71	283325/4.9.2002
	शासकीय आयुर्वेदिक स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर	2000-01	2002-03	1.28	110267/22.10.2002 110268/22.10.2002
	शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय रायपुर	2001-2002	2002-2003	1.17	2833830/4.9.2002
योग				3.16	

परिशिष्ट -XXXVII

(कंडिका 3.3.7 में संदर्भित)

छात्रवृत्ति का देरी से आहरण दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	छात्रवृत्ति की प्रकृति	वर्ष	2 से 6 माह तक की सीमा में विलम्ब		
				बिल संख्या	दिनांक	राशि
				1.	2.	3.
1.	सहायक आयुक्त सरगुजा	अनुसूचित जन जाति (मैट्रिक पूर्व)	2000-01	768	3/01	8.00
				745	3/01	15.00
				746	3/01	5.00
				747	3/01	5.00
						33.00
		अन्य पिछड़ा वर्ग (मैट्रिक पूर्व)	2000-01	769	3/01	2.00
				770	3/01	4.00
						06.00
		अनुसूचित जाति (मैट्रिक पूर्व)	2001-02	742	3/02	4.00
				744	3/02	4.00
				745	3/02	4.25
						12.25
		अनुसूचित जन जाति (मैट्रिक पूर्व)	2001-02	647	3/02	8.00
				650	3/02	8.68
				663	3/02	8.68
				666	3/02	2.00
				667	3/02	1.64
						29.00
		अन्य पिछड़ा वर्ग (मैट्रिक पूर्व)	2001-02	648	3/02	3.00
				652	3/02	4.00
				662	3/02	5.00
				665	3/02	2.00
				739	3/02	0.50
						14.50

		अन्य पिछड़ा वर्ग (मैट्रिकोत्तर)	2001-02	741 743 746 750	3/02 3/02 3/02 3/02	4.00 3.00 3.00 2.02
						12.02
		अनुसूचित जाति (मैट्रिक पूर्व)	2002-03	296 659 626 660 661 705	9/02 3/03 3/03 3/03 3/03 3/03	2.30 3.00 1.36 2.00 1.00 1.25
						10.91
		अनुसूचित जन जाति (मैट्रिक पूर्व)		622 623 624 625 637	3/03 3/03 3/03 3/03 3/03	2.00 2.00 1.00 5.00 1.00
						11.00
		अन्य पिछड़ा वर्ग (मैट्रिकोत्तर)		610 611	3/03 3/03	1.00 1.00
						2.00
					2 से 6 माह	
1.	सहायक आयुक्त सरगुजा					130.68
2.	जिला संयोजक आदिवासी कल्याण जांजगीर	अन्य पिछड़ा वर्ग (मैट्रिक पूर्व)	2000-01	524 525 534	3/01 3/01 3/01	25.00 35.00 25.00
						85.00
		अन्य पिछड़ा वर्ग (मैट्रिकोत्तर)	2000-01	523	3/01	20.00
						20.00
		अनुसूचित जन जाति (मैट्रिक पूर्व)	2002-03	592	3/03	2.00
						2.00
		अन्य पिछड़ा वर्ग (मैट्रिक पूर्व)	2002-03	549 550 551 552	3/03 3/03 3/03 3/03	9.50 9.50 9.50 3.02
						31.52

				2 से 6 माह		
	जिला संयोजक आदिवासी कल्याण जांजगीर	योग		138.52		
3.	सहायक आयुक्त आदिवासी विकास रायपुर	अनुसूचित जन जाति (मैट्रिक पूर्व)	2001-02	560	9/01	30.00
						30.00
			2002-03	843 844 1253 2008 2009	12.02 12/02 3/03 -तदैव- -तदैव-	40.00 6.00 5.00 8.00 9.00
						68.00
		अनुसूचित जाति (मैट्रिक पूर्व)	2001-02	522 546 1239	9/01 9/01 3/02	2.00 2.00 30.00
						34.00
			2002-03	1290 से 1292 1302 से 1312 1429	3/03 3/03 -तदैव-	29.55 87.85 13.01
						130.41
		अन्य पिछड़ा वर्ग (मैट्रिक पूर्व)	2001-02	523 524 1284 से 1294	9/01 -तदैव- 3/02	20.00 30.00 106.00
						156.00
			2002-03	776 1227 से 1236	11/02 3/03	60.00 80.00
						140.00
	सहायक आयुक्त आदिवासी विकास रायपुर			2 से 6 माह		
		योग		558.41		

4.	सहायक आयुक्त आदिवासी विकास रायगढ	अन्य पिछडा वर्ग (मेट्रिक पूर्व)	2000-01	1668	3/01	2.00
						2.00
		अनुसूचित जाति (मेट्रिक पूर्व)	2001-02	655	9/01	0.05
				657	9/01	0.50
				658	9/01	2.50
				659	9/01	2.00
				660	9/01	0.20
				661	9/01	0.30
				1636	3/02	15.00
						20.55
		अनुसूचित जन जाति (मेट्रिक पूर्व)	2001-02	680	9/01	17.50
				708	9/01	2.00
				709	9/01	6.00
				710	9/01	5.00
				711	9/01	1.00
				1794	3/02	8.47
				1796	3/02	0.50
				1797	3/02	0.50
				1903	3/02	9.00
				1904	3/02	9.00
						58.97
		अन्य पिछडा वर्ग (मेट्रिक पूर्व)	2001-02	703	9/01	0.40
				704	9/01	17.20
				705	9/01	12.00
				706	9/01	0.40
				1783	3/02	1.00
				1819	3/02	2.50
				1821	3/02	3.00
				1822	3/02	0.50
				1905	3/02	6.00
				1906	3/02	5.00
						48.00

		अन्य पिछड़ा वर्ग (मैट्रिकोत्तर)	2001-02	698	9/01	2.00
				699	9/01	0.20
				700	9/01	7.80
				701	9/01	1.50
				702	9/01	0.50
				1798	3/02	3.00
				1799	3/02	3.00
				1800	3/02	4.00
						22.00
		अनुसूचित जाति (मैट्रिक पूर्व)	2002-03	1014	10/02	20.00
				1015	10/02	65.00
				1016	10/02	3.00
				1017	10/02	1.00
				1476	2/03	5.00
				1477	2/03	20.00
						114.00
		अन्य पिछड़ा वर्ग (मैट्रिक पूर्व)	2002-03	1576	3/03	5.00
				1627	3/03	5.00
						10.00
	सहायक आयुक्त आदिवासी विकास रायगढ़			2 से 6 माह		
		योग		275.52		
				2 से 6 माह		
	सहायक आयुक्त आदिवासी विकास सरगुजा			130.68		
	जिला संयोजक आदिवासी कल्पण जांजगीर			138.52		
	सहायक आयुक्त आदिवासी विकास रायपुर			558.41		
	सहायक आयुक्त आदिवासी विकास रायगढ़			275.52		
	महायोग			1103.13		

परिशिष्ट - XXXVIII
(कंडिका 3.3.8 में संदर्भित)

अशासकीय संस्थाओं के प्राचार्यों को धनादेशों को अनियमित जारी किया जाना दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(लाख रुपये में)

कार्यालय का नाम		नवम्बर 2000-01	2001-02	2002-03	महायोग
खण्ड शिक्षा अधिकारी सरगुजा	अनुसूचित जन जाति के लिये राज्य छात्रवृत्ति	6.52	6.86	3.44	16.82
	अनुसूचित जाति	1.38	0.59	0.12	2.09
	अन्य पिछड़ा वर्ग		0.88	0.17	1.69
	अन्य पिछड़ा वर्ग को मैट्रिकोत्तर	0.03	0.03	0.16	0.22
	योग	8.57	8.36	3.89	20.82
खण्ड शिक्षा अधिकारी वाड्डफनगर	अनुसूचित जन जाति के लिये छात्र वृत्ति	0.66	1.15	1.54	3.35
	अनुसूचित जाति	0.01	0.01	0.03	0.05
	अन्य पिछड़ा वर्ग	0.06	0.05	0.08	0.19
	अन्य पिछड़ा वर्ग को मैट्रिकोत्तर	--	--	--	--
	योग	0.73	1.21	1.65	3.59
सहायक आयुक्त आदिवासी विकास रायपुर	अनुसूचित जन जाति के लिये राज्य छात्र वृत्ति	11.47	19.50	21.60	52.57
	अनुसूचित जाति	0.81	1.24	1.46	3.51
	अन्य पिछड़ा वर्ग	4.74	7.02	12.78	24.54
	अन्य पिछड़ा वर्ग को मैट्रिकोत्तर	18.27	16.82	33.07	68.16
	योग	35.29	44.58	68.91	148.78
महायोग	44.59	54.15	74.45	173.19	

परिशिष्ट -XXXIX

(कंडिका 3.3.9 में संदर्भित)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत को निधियों का अनियमित व्यपवर्तन

(लाख रूपये में)

वर्ष	श्रेणी	अनुदान संख्या/मुख्य शीर्ष	परिवर्तित राशि		योग
			सहायक आयुक्त आदिवासी विकास रायपुर द्वारा	सहायक आयुक्त आदिवासी विकास रायगढ़ द्वारा	
2000-01	अनुसूचित जन जाति छात्र वृत्ति	82/2225/1392	7.20		
			7.20		
	अनुसूचित जाति छात्र वृत्ति	15/2225/5133 -तदैव-	61.88 7.00	45.44	
			68.88	45.44	121.52
2002-03	अनुसूचित जाति छात्र वृत्ति	15/2225/5133	--	39.00	
		15/2225/6175	--	2.30	
		-तदैव-	--	4.25	
	योग			45.55	45.55
	महायोग				167.07

परिशिष्ट -XL

(कंडिका 3.4.4 में संदर्भित)

त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत मुक्त की गयी / उपयोग की गई और वापस की गई निधियों की वर्ष-वार और परियोजना वार स्थिति

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	वर्ष	जल संसाधन मंत्रालय द्वारा मुक्त की गई निधियां	कार्योचित पर राज्यांश	उपयोग की गई निधियां			वापस की गई				भुगतान के लिए लम्बित शेष		व्याज दर (प्रतिशत)		
								वर्ष के दौरान भुगतान के लिये देय		वर्ष के दौरान वास्तविक पुनर्भुगतान		मूलधन	व्याज		मूलधन	व्याज
								मूलधन	व्याज	मूलधन	व्याज					
					कार्योचित	अनुमान	योग									
1.	हसदेव बांगो वृहद बहु उद्देशीय परियोजना	1997-98	4.25	1.28	2.55	14.07	16.62	0.53	2.62	0.53	2.62	--	--	13		
		1998-99	9.00	4.86	9.73	22.28	32.01	0.90	4.42	0.90	4.42	--	--	13, 12.50		
		1999-2000	8.60	4.27	12.81	12.42	25.23	0.65	3.14	0.65	3.14	--	--	12.50		
		2000-2001	12.93	6.70	20.09	9.60	29.69	0.65	3.19	0.65	3.19	--	--	12.50		
		2001-2002	45.00	23.79	71.36	11.00	82.36	1.13	5.40	1.13	5.40	--	--	12		
		2002-2003	96.76	76.73	150.37*	12.26	162.63	--	--	--	--	--	--	11.50		
			176.54	117.63	266.91	81.63	348.54	3.86	18.77	3.86	18.77	--	--	--		
2.	जोंक डाइवर्सन वृहद परियोजना	1999-2000	1.00	0.11	0.34	0.04	0.38	0.08	0.37	0.08	0.37	--	--	12.50		
		2000-2001	--	0.33	0.98	--	0.98	--	--	--	--	--	--	12.50		
		2001-2002	2.60	1.30	3.91	0.04	3.95	0.07	0.31	0.07	0.31	--	--	12.00		
		2002-2003	2.67	1.74	5.23	0.05	5.28	--	--	--	--	--	--	11.50		
			6.27	3.48	10.46	0.13	10.59	0.15	0.68	0.15	0.68	--	--	--		

* वर्ष 2002-03 में खरसिया शाखा नहर की सिंचाई और कुर्द वितरणियों पर 39.91 करोड़ रुपये का व्यय, जो योजना आयोग और गतिवद्धित सिंचाई लाभ परियोजना के अंतर्गत अनुमोदित नहीं था, कार्योचित के व्यय में सम्मिलित किया गया।

3.	शिवनाथ डाइवर्सन मध्यम सिंचाई परियोजना	1997- 1998	0.25	0.30	0.60	0.05	0.65	0.03	0.15	0.03	0.15	--	--	13
		1998- 1999	0.50	0.38	0.77	0.06	0.83	0.05	0.25	0.05	0.25	--	--	13, 12.50
		1999- 2000	0.92	0.33	1.00	0.08	1.08	0.07	0.33	0.07	0.33	--	--	12.50
		2000- 2001	1.00	0.65	1.94	0.15	2.09	0.05	0.25	0.05	0.25	--	--	12.50
		2001- 2002	0.60	0.55	1.66	0.13	1.79	0.02	0.07	0.02	0.07	--	--	12.00
		2002- 2003	0.27	0.23	0.69	0.06	0.75	--	--	--	--	--	--	11.50
			3.54	2.44	6.66	0.53	7.19	0.22	1.05	0.22	1.05	--	--	--
4.	कोसरटेडा मध्यम सिंचाई परियोजना	2002- 2003	3.00	2.99	8.96	0.06	9.02	--	--	--	--	--	--	11.50
5.	बरनई मध्यम सिंचाई परियोजना	2002- 2003	1.30	1.13	3.38	0.37	3.75	--	--	--	--	--	--	11.50
महायोग			190.65	127.67	296.37	82.72	379.09	4.23	20.5	4.23	20.5	--	--	--

परिशिष्ट -XLI
(कंडिका 3.4.6 में संदर्भित)

त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए आई वी पी) के दिशा निर्देशों के अनुसार अनुमोदित परियोजना के विवरण

प्रथम योजना से पंचवर्षीय योजना का संदर्भ	परियोजना का नाम	स्वीकृति का वर्ष	योजना आयोग द्वारा निवेश निकासी का दिनांक	परियो-जना की मूल लागत	ए.आई. बी.पी.के अंतर्गत अद्यतन पुनरीक्षित लागत	अद्यतन पुनरीक्षित लागत	ए आई बी पी के अंतगत शेष कार्य की लागत	ए.आई. बी. पी. के अंतगत मार्च 2003 तक व्यय	कुल विमुक्त सी एल ए	अंतिम संभावित सिंचाई	ए आई बी पी के प्रारंभ से पूर्व सृजित संभावनाएँ	ए आई बी पी के अंतगत सृजित की जाने वाली संभावनाएँ	ए आई वी पी आरंभ में सृजित संभावनाएँ	ए आई वी पी के अंतगत सृजित संभावनाओं का वास्तविक उपयोग	समावेश किये जाने के कारण
				(करोड़ रुपये में)						(हेक्टेयर में संभावना)					
1.	2.	3	.4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
1. छठवीं योजना	हसदेव बांगो मुख्य बहुउद्देशीय परियोजना	1980	1980	115.30	1020.00	1043.88	304.74	348.54	176.54	209000 परसाही उदवहन सिंचाई योजना	122500	86500	52179	3500	निधियों के अभाव के कारण
2	जोंक व्यपवर्तन मुख्य सिंचाई परियोजना	1973	1975	4.14	58.48	58.48	18.80	10.59	6.27	14569	5000	9569	3832	निरंक	-तदैव-
3. पांचवी योजना	शिवनाथ व्यपवर्तन मध्यम परियोजना	1976	--	0.42	12.13	16.73	4.76	7.19	3.54	5870	632	5238	5238	निरंक	-तदैव-

4.	कोसरटेज छठवीं योजना एक मध्यम सिंचाई परियोजना	1980	1981	6.01	62.60	62.60	45.06	9.02	3.00	11120	निरंक	11120	निरंक	निरंक	-तदैव-
5.	बरनई छठवीं योजना परियोजना सिंचाई परियोजना	1984	1984	4.26	18.74	18.74	2.60	3.75	1.30	2820	1335	1485	150	निरंक	
योग				130.13	1171.95	1200.43	375.96	379.09	190.65	243379	129467	113912	61499	3500	

परिशिष्ट -XLI (ए)
(कंडिका 3.4.6 में संदर्भित)

31.3.2003 को त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए आई वी पी) के अंतर्गत स्वीकृत सभी परियोजनाओं का भौतिक स्तर

क्र. सं.	परियोजना का नाम	जल संसाधन मंत्रालय द्वारा स्वीकृति का दिनांक	चालू होने का दिनांक	पूर्ण होने का नियम दिनांक	पूर्ण होने का पुनरीक्षित दिनांक	विलम्ब के कारण	भौतिक प्रगति					
							शीर्ष कार्य			नहर		
							ए आई वी पी के पूर्व	ए आई वी पी के अंतर्गत	योग	ए आई वी पी के पूर्व	ए आई वी पी के अंतर्गत	योग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	हसदेव बांगो मुख्य बहुउद्देशीय परियोजना	अक्टुबर 1997	9 अक्टुबर 1997	मार्च 2003	मार्च 2004	एजेंसी का निर्धारण और भूमि अधिग्रहण	99 %	--	99 %	70 %	15 %	85 %
2	जोंक व्यपवर्तन मुख्य सिंचाई परियोजना	16 नवम्बर 1998	1999-2000	मार्च 2001	मार्च 2004	भूमि अधिग्रहण	100 %	--	100 %	65 %	15 %	80 %
3	शिवनाथ व्यपवर्तन मध्यम सिंचाई परियोजना	लागू नहीं	1997-98	जून 1999	जून 2002 में पूर्ण	भूमि अधिग्रहण	95 %	5 %	100 %	68 %	32 %	100 %
4	कोसरटेज मध्यम सिंचाई परियोजना	29 अक्टुबर 2001	23 दिसम्बर 2002	जून 2004	मार्च 2006	जंगल सफाई	58 %	--	58 %	18 %	--	18 %
5	बरनई मध्यम सिंचाई परियोजना	22 अक्टुबर 2002	नवम्बर 2002	मार्च 2003	जून 2004	भूमि अधिग्रहण प्रकरण और ठेकेदारों द्वारा धीमी प्रगति	90 %	8 %	98 %	65 %	15 %	80 %

परिशिष्ट -XLII

(कंडिका 3.4.6 में संदर्भित)

निर्माणाधीन एवं पूर्ण हो चुकी दोनों तरह की परियोजनाओं की अधिक लागत एवं समय

क्रं. सं.	परियोजना का नाम	अवधि	किया गया व्यय (करोड़ रुपये में)	समय से अधिक (महीनों में)	लागत से अधिक (करोड़ रुपये में)	टिप्पणी ए आई वी पी के पूर्व मूल अनुभाग के अनुसार पूर्ण होने की नियम दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	हसदेव बांगो मुख्य बहुउद्देशीय परियोजना	1980 से 2003 (अपूर्ण)	932.19 (योग) 348.54 (ए आई वी पी)	204 महीने (योग) निरंक (ए आई वी पी)	816.89 (योग) 43.80 (ए आई वी पी)	1986
2.	जोंक व्यपवर्तन मुख्य सिंचाई परियोजना	1973 से 2003 (अपूर्ण)	40.58 (योग) 10.59 (ए आई वी पी)	261 महीने (योग) 24 महीने (ए आई वी पी)	36.44 (योग) निरंक (ए आई वी पी)	जून 1981
3.	शिवनाथ व्यपवर्तन मध्यम सिंचाई परियोजना	1976 से जून 2002	14.53 (योग) 7.19 (ए आई वी पी)	300 महीने (योग) 36 महीने (ए आई वी पी)	14.11 (योग) 2.43 (ए आई वी पी)	1977-78
4.	कोसरटेडा मध्यम सिंचाई परियोजना	1980 से 2006 (परियोजनित)	26.56 (योग) 9.02 (ए आई वी पी)	216 महीने (योग) निरंक (ए आई वी पी)	20.55 (योग) निरंक (ए आई वी पी)	1985
5.	बरनई मध्यम सिंचाई परियोजना	1984 से 2003 (अपूर्ण)	18.96 (योग) 3.75 (ए आई वी पी)	195 महीने (योग) निरंक	14.70 (योग) 1.15 (ए आई वी पी)	जनवरी 1987

परिशिष्ट -XLIII

(कंडिका 3.4.6 में संदर्भित)

वित्तीय परिव्यय एवं कार्य एवं स्थापना पर व्यय दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(करोड़ रुपये में)

क्रं. सं.	परियोजना का नाम	वर्ष	केन्द्रीय ऋण सहायता	कार्य हेतु राज्यांश	अनुमत्य केन्द्रीय ऋण सहायता	व्यय		योग	अधिक विमुक्त की गई केन्द्रीय ऋण सहायता
						कार्य	स्थापना		
1.	हसदेव बांगो मुख्य बहुउद्देशीय परियोजना	1997-98	4.25	1.28	1.27	2.55	14.07	16.62	--
		1998-99	9.00	4.86	4.87	9.73	22.28	32.01	--
		1999-2000	8.60	4.27	8.54	12.81	12.42	25.23	
		2000-2001	12.93	6.70	13.39	20.09	9.60	29.69	
		2001-02	45.00	23.79	47.57	71.36	11.00	82.36	
		2002-03	96.96	76.73	73.64	150.37 ^१	12.26	162.63	
		योग	176.54	117.63	149.28	266.91	81.83	348.54	27.26
2.	जॉक व्यपवर्तन मुख्य सिंचाई परियोजना	1999-2000	1.00	0.11	0.23	0.34	0.04	0.38	
		2000-01	--	0.33	0.65	0.98	--	0.98	
		2001-02	2.60	1.30	2.61	3.91	0.04	3.95	
		2002-03	2.67	1.74	3.49	5.23	0.05	5.28	
		योग	6.27	3.48	6.98	10.46	0.13	10.59	
3.	शिवनाथ व्यपवर्तन मध्यम सिंचाई परियोजना	1997-98	0.25	0.30	0.30	0.60	0.05	0.65	
		1998-99	0.50	0.38	0.39	0.77	0.06	0.83	
		1999-00	0.92	0.33	0.67	1.00	0.08	1.08	
		2000-01	1.00	0.65	1.29	1.94	0.15	2.09	
		2001-02	0.60	0.55	1.11	1.66	0.13	1.79	
		2002-03	0.27	0.23	0.46	0.69	0.06	0.75	
	योग	3.54	2.44	4.22	6.66	0.53	7.19		
4.	कोसरटेडा मध्यम सिंचाई परियोजना	2002-03	3.00	2.99	5.97	8.96	0.06	9.02	
5.	बरनई मध्यम सिंचाई परियोजना	2002-03	1.30	1.13	1.69	3.38	0.37	3.75	
	महायोग		190.65	127.67		296.37	82.72	379.09	27.26

^१ खरसिया शाखा नहर की सिंचारा और कुर्द वितरणी का 39.91 करोड़ रुपये का व्यय जो योजना आयोग द्वारा और ए आई वी पी के अंतर्गत अनुमोदित नहीं था, 2002-03 में कार्य के व्यय में शामिल कर लिया गया था।

परिशिष्ट -XLIV
(कंडिका 3.4.6 में संदर्भित)
निधियों का व्यपवर्तन

क्र. सं.	परियोजना का नाम	वर्ष	राशि (करोड़ रुपये में)	क्रिया कलाप जिसके लिये निधि परिवर्तित की गई
1.	हसदेव बांगो मुख्य बहुउद्देशीय परियोजना	1997-98 से 2002-03	82.75	कार्य भारत स्थापना एवं दैनिक मजदूरी श्रमिकों, नियमित स्थापना एवं वेतन और विविध मर्दें
2.	जोंक व्यपवर्तन मुख्य सिंचाई परियोजना	1999-2000 से 2002-03	0.85	कार्य भारत स्थापना दैनिक मजदूरी श्रमिकों का वेतन और विविध मर्दें प्रतिशतता प्रभार
3.	शिवनाथ व्यपवर्तन मध्यम सिंचाई परियोजना	1997-98 से 2002-03	0.58	कार्य भारत स्थापना दैनिक मजदूरी श्रमिकों का वेतन और विविध मर्दें
4.	कोसरटेडा मध्यम सिंचाई परियोजना	2002-03	0.17	कार्य भारत स्थापना दैनिक मजदूरी श्रमिकों आदि का वेतन
5.	बरनई मध्यम सिंचाई परियोजना	2002-03	0.75	- तदैव -
योग			85.10	

2. 38400 हैक्टेयर सिंचाई क्षमता वाली खरसिया शाखा नहर की वितरणी प्रणाली के निर्माण पर हुये 39.91 करोड़ रुपये की व्यय जो ए आई बी पी के कार्य क्षेत्र में सम्मिलित नहीं था और केन्द्रीय जल आयोग/योजना आयोग द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित नहीं था, शामिल किया गया।

परिशिष्ट -XLV

(कंडिका 3.4.6 में संदर्भित)

खरसिया शाखा नहर से संबंधित दिसम्बर 2001 से जून 2002 के दौरान स्वीकार की गयी निविदाओं को दर्शाने वाला विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं	कार्य का विवरण	ठेकेदार का नाम	अनुमानित लागत (लाख रुपये में)	संविदा मूल्य (लाख रुपये में)	स्वीकार किये जाने का दिनांक
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	मिट्टी कार्य और संरचना 20 से 21 कि.मी. में	मै. लक्ष्मी कन्स्ट्रक्शन कंपनी	102.69	84.62 (17.59 %) नीचे	14 दिसम्बर 2001
2.	-तदैव- 19 से 20 कि.मी.	मै. इन्टीग्रल कन्स्ट्रक्शन कंपनी	140.16	77.48 (44.718 %) नीचे	2 जनवरी 2002
3.	-तदैव- 17.31 से 18 कि.मी.	-तदैव-	330.04	181.46 (45.02 %) नीचे	21 जनवरी 2002
4.	-तदैव- 18 से 19 कि.मी.	-तदैव-	272.11	150.17 (44.81 %) नीचे	21 जनवरी 2002
5.	-तदैव- 21 से 23 कि.मी.	मै. रानी सती ग्रेनाइट	189.23	157.00 (17.03 %) नीचे	21 जनवरी 2002
6.	-तदैव- 15 से 15.975 कि.मी.	मै. जया कन्स्ट्रक्शन	157.05	188.77 (20.20 %) उपर	5 फरवरी 2002
7.	टर्न की निविदा के अंतर्गत बांयी तट नहर प्रणाली का शेष कार्य (डिस्ट्रीब्यूटरीज और माइनर के साथ साथ के बी सी का 24.60 से 42 कि.मी. का सम्पूर्ण कार्य) के बी सी टेल से सिंधारा और कुर्द डस्ट्रीब्यूटरीज: शक्ती शाखा नहर (टेल) की बरदुली और परसाडीह डिस्ट्रीब्यूटरीज	मै. प्रसाद एण्ड कम्पनी	11700.00	17370.00 (48.46 %) उपर	7 फरवरी 2002
8.	के बी सी के अंतर्गत जुजांग जुदगा डिस्ट्रीब्यूटरी और जगदली नहर का मिट्टी कार्य और संरचना	मै. दयाल सिंह पटेल (एकल निविदा)	76.20	88.21 (15.76 %) उपर	8 फरवरी 2002
9.	के.बी.सी. के 23 से 24 कि.मी. तक का मिट्टी कार्य और संरचना	मै. जया कन्स्ट्रक्शन	105.11	88.06 (16.22 %) नीचे	28 मई 2002
10.	के.बी.सी. के अंतर्गत शक्ती डिस्ट्रीब्यूटरी का मिट्टी कार्य और संरचना	मै. रानी सती ग्रेनाइट	119.84	109.07 (8.99 %) नीचे	20 जून 2002

(लाख रुपये में)

(i)	क्रम संख्या 6 के ठेका हेतु: 188.77 लाख रुपये - (157.05 लाख रुपये X 82.97)%	58.47
(ii)	क्रम संख्या 7 के ठेका हेतु: 17370.00 लाख रुपये -(11700.00 लाख रुपये X 82.97) %	7662.51
(iii)	क्रम संख्या 8 के ठेका हेतु: 88.21 लाख रुपये - (76.20 लाख रुपये X 82.97) %	24.99
		7745.97

परिशिष्ट -XLVI
(कंडिका 3.4.6 में संदर्भित)

दोषी ठेकेदारों से वसूली योग्य अतिरिक्त लागत और अन्य बकाया राशि को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

क्र. सं.	संभाग का नाम	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (लाख रुपये में)	अनुबंध क्र. एवं वर्ष	राशि (लाख रुपये में)	यू एस आर पर निविदा प्रतिशत	ठेकेदार का नाम (मुल ठेकेदार)	अपूर्ण बिल/प्रमाणक		शेष कार्य (लाख रुपये में)	अनुबंध क्र. एवं वर्ष	राशि (लाख रुपये में)	निविदा प्रतिशत	ठेकेदार का नाम (अनुवर्ती)	प्रमाणक क्र. एवं दिनांक	राशि (लाख रुपये में)	अतिरिक्त लागत (लाख रुपये में)	अन्य बकाया		वसूली योग्य कुल राशि (लाख रुपये में)
								क्र.	राशि									नामकरण	राशि (लाख रुपये में)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
1.	हसदेव बांगो नहर संभाग-2 चांपा	बांगी तट मुख्य नहर के आर डी 18 कि. मी. से 25 कि. मी. तक सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग का निर्माण	247.78	18 डी एल 92-93	241.53	2.53 नीचे	मै. लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन कंपनी शक्ती	20 डी एल 29.9.01	322.71 (अतिरिक्त मर्दों सहित)	5.54	11 डी एल 02-03	10.76	-	श्री राधे श्याम अग्रवाल	--	--	5.22	मशीनरी अग्रिम मुलधन ब्याज कार्य पूर्ण होने में विलम्ब के लिये शास्ति	3.00 4.70 19.84	
																	5.22		27.54	32.76
2.	-तदैव-	बांगी तट मुख्य नहर के आर डी 25 कि. मी. से 32 कि. मी. तक सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग का निर्माण	292.95	20 डी एल 92-93	270.53	7.65 नीचे	मै. गौरी शंकर अग्रवाल	57 डी एल 26.2.98	283.99 (अतिरिक्त मर्दों सहित)	48.91	11 डी एल 02-03	104.82	--	श्री राधे श्याम अग्रवाल	--	--	55.91	कार्य पूर्ण होने में विलम्ब के लिये शास्ति	6.67	62.58

* क्र. सं. 1 और 2 के बचे हुए कार्य के साथ कुछ अन्य कार्य 167.12 लाख रुपये के लिये, श्री राधेश्याम अग्रवाल को अनुबंध क्रमांक 11 डी एल-2002-03 द्वारा सौंपे गये थे।

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	
3.	हसदेव बांगो नहर संभाग-6 नंदेली भाटा शक्ती	हंसदेव बांगी तट नहर के 48 कि. मी. से 49.77 कि. मी. (टैल साइड) के मिट्टी कार्य और सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग का निर्माण	--	19 डी एल 92-93	57.74	--	श्री डी. गोबिंदा	13 वां चल लेखा बिल (लंबित)	24.85	32.89	20 डी एल 00-01	97.90	--	मै. रायपुर कंस्ट्रक्शन कम्पनी	6 वां चल लेखा बिल प्रमाणित 21 डी एल 24.4.03	108.81	15.90	मशीनरी अग्रिम मूलधन ब्याज हार्ड रोड काय की लागत विशिष्टता से निम्न कार्य	4.50 5.36 1.32 8.00		
																	15.90		19.18	35.08	
4.	-तदैव-	हंसदेव बांगी तट नहर के आर डी 43000 मी. से 43430 मी. तक के मिट्टी कार्य सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग और आर सी सी रिटैनिंग दीवार का निर्माण	61.88	7 डी एल 93-94	55.76	9.90 नीचे	श्री डी. गोबिंदा	=	--	--	3 डी एल 98-99	94.82	93.04 उपर	श्री हरदयाल सिंह पटेल	8.2.2002	107	51.74	मशीनरी अग्रिम और उस पर ब्याज	8.99	60.73	
5.	हसदेव बांगो नहर संभाग-3 शक्ती	हंसदेव बांगी तट नहर के आर डी 35000 मी. से 36120 मी. तक के मिट्टी कार्य सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग का शेष कार्य	75.94	25 डी एल 92-93	42.60	43.91 नीचे	यू.एस. जायसवाल	30.4.98 तक	28.43 (अतिरिक्त मद छोड़ कर)	14.17	19 डी एल 00-01	19.18	22.83 नीचे	मै. जतिन कंस्ट्रक्शन कम्पनी	IV और अंतिम (लंबित अपूर्ण)	13.88	2.95	--	--	2.95	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
	-तदैव-	-तदैव-	24.86	19ई ई 2000- 01	19.18	22.83 नीचे	श्री जतिन कंस्ट्रक्शन कम्पनी	IV और अंतिम (लंबित अपूर्ण)	13.88	5.30	14ई ई ई 02- 03	22.49	91.34 ऊपर	श्री अजित कुमार सहगल	11डी एल 22.4.2003 (अंतिम)	21.12	19.07	--	--	19.07
6.	-तदैव-	शक्ती शाखा नहर के आर डी 25050 मी. पर क्रास रेग्युलेटर एम व्ही आर बी और शीर्ष रेग्युलेटर का निर्माण	10.75	16ई ई 96-97	11.22	4.30 नीचे	श्री फत्ते चन्द अग्रवाल	II और अंतिम (लंबित)	0.73	10.49	5 ई ई 02-03	16.07	72.57 ऊपर	श्री तारु सिंह पटेल	45 डी एल 30.4.2003 (चौथा चल लेखा बिल)	13.86	6.36	--	--	6.36
7.	-तदैव-	शक्ती शाखा नहर के आर डी 23000 मी. से 25000 मी. तक मिट्टी कार्य सहित संरचना यथा आर डी 23610 मी. आर डी 23850 मी. और 24120 मी. आर डी में सी डी पर शीर्ष रेग्युलेटर का निर्माण	19.59	10ई ई 93-94	16.56	15.48 नीचे	मै. याशिनी कंस्ट्रक्शन कम्पनी	--	--	--	2 ई ई 02-03	8.50	--	श्री केदार नाथ	--	--	--	--	--	--
											15ई ई 02-03	8.15		श्री मदन लाल अग्रवाल	--	--	7.72	सीमेंट, स्टील और हार्ड रॉक की लागत	11.30	19.02

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
8.	हसदेव बांगो नहर संभाग क्र.-5 खरसिया जिला रायगढ़	मिनी माता बांगो परियोजना के 17.31 कि.मी. से 18 कि.मी. तक खरसिया शाखा नहर का निर्माण	330.04	13डी एल 01-02	181.46	45.02 नीचे	मै. इन्टीग्रल कन्स्ट्रक्शन कम्पनी विजय वाड़ा (आन्ध्र प्रदेश)	द्वितीय अपूर्ण लंबित	41.10	140.35	35डी एल 01-02	330.01	29.44 ऊपर	मै. एस ई डब्ल्यू कंस्ट्रक्शन लिमिटेड हैदराबाद	11 डी एल 11.7.03	278.12	189.65	--	--	189.65
9.	-तदैव-	मिनी माता बांगो परियोजना के 18 कि.मी. से 19 कि.मी. तक खरसिया शाखा नहर का निर्माण	272.11	14डीएल 01-02	150.17	44.81 नीचे	मै. इन्टीग्रल कन्स्ट्रक्शन कम्पनी विजय वाड़ा (आन्ध्र प्रदेश)	द्वितीय अपूर्ण लंबित	15.76	134.41	36डीएल 02-03	314.52	29.47 ऊपर	-तदैव-	19डीएल 18.5.03	275.33	181.00	--	--	181.00
10.	-तदैव-	मिनी माता बांगो परियोजना के 19 कि.मी. से 20 कि.मी. तक खरसिया शाखा नहर का निर्माण	140.16	12डीएल 01-02	77.48	44.718 नीचे	मै. इन्टीग्रल कन्स्ट्रक्शन कम्पनी विजय वाड़ा (आन्ध्र प्रदेश)	द्वितीय अपूर्ण लंबित	17.22	60.27	37डीएल 02-03	143.62	29.47 ऊपर	श्री पी जानकी शर्मा राजन विशाखापट्टनम	18डी एल 20.5.03	64.34	81.10	--	--	81.10
														महायोग			616.62	--	73.68	690.30

परिशिष्ट -XLVII

(कंडिका 3.4 6 में संदर्भित)

हसदेव बांगो परियोजना

मिट्टी कार्य के लिये उच्च दरें अनुमत्त करने के कारण अमान्य व्यय को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

क्र.सं.	अनुबन्ध क्र० और वर्ष	संभाग का नाम	टेकेदार का नाम	अनुबन्ध की संभाव्य राशि (करोड़ रुपये में)	मिट्टी कार्य की मात्रा (घ.मी.)	दर/स्वीकृत दर जी अनुसूची की मद क्र० 1 (क)की दर (प्रति घ.मी. रुपये)	अमान्य भुगतान (लाख रुपये में)
1.	1999-2000 का 3	नहर संभाग क्र० 6 शक्ती	श्री नटवर लाल अग्रवाल	1.50	125590.09	18.40 (52.40 - 34.00)	23.11
2.	2001-2002 का 5	-तदैव-	-तदैव-	1.20	14470.57	12.00 (38.00 - 26.00)	1.74
3.	1999-2000 का 1	नहर संभाग क्र० 3 शक्ती	श्री सी.बी.मोरारका	2.15	210410.56	11.13 (37.13 - 26.00)	23.42
4.	2001-02 का 26	हसदेव बांध संभाग कोरबा	श्री बी.बी.वर्मा	0.13	3070.79	29.00 (84.00 - 55.00)	0.89
					योग		49.16

परिशिष्ट -XLVIII

(कंडिका 6.1.1, 6.1.3, 6.1.4, और 6.1.5 में संदर्भित)

सरकारी कम्पनियों और सांविधिक निगमों से संबंधित बजट से प्राप्त पूंजी, ऋण/इक्विटी, अन्य ऋण एवं 31 मार्च 2003 को लंबित ऋणों का विवरण दर्शाने वाला पत्रक

(कालम 3 (क) से 4 (च) तक के आंकड़े लाख रुपये में हैं)

क्रं. सं.	क्षेत्र तथा कम्पनी का नाम	चालू वर्ष के अंत में प्रदत्त पूंजी					वर्ष के दौरान बजट से प्राप्त इक्विटी/ऋण		वर्ष के दौरान प्राप्त अन्य ऋण	2002-03 की समाप्ति पर लंबित ऋण			2002-2003 के लिये ऋण इक्विटी अनुपात (पूर्व वर्ष) 4च/3ड.
		राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अधिसम्पत्ति कम्पनी	अन्य	योग	इक्विटी	ऋण		सरकारी	अन्य	योग	
1.	2.	3 (क)	3 (ख)	3 (ग)	3 (घ)	3 (ड.)	4 (क)	4 (ख)	4 (ग)	4 (घ)	4 (ड.)	4 (च)	5
क.	कार्यरत सरकारी कंपनियां												
	कार्यकलाप												
(क)	उद्योग												
1.	छत्तीसगढ़ राज्य बेबरेजेज निगम मर्यादित	14.54	--	--	--	14.54	--	--	--	--	--	--	--
	योग (क)	14.54	--	--	--	14.54	--	--	--	--	--	--	--
(ख)	वन												
2.	छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम मर्यादित	562.09	92.40	--	--	654.49	--	--	--	--	574.78	574.78	0.88:1 (—)
	योग (ख)	562.09	92.40	--	--	654.49	--	--	--	--	574.78	574.78	0.88:1 (—)
(ग)	खनन												
3	छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम मर्यादित	55.00				55.00	--	--	--	--	--	--	--
	योग (ब)	55.00				55.00							

1.	2.	3 (क)	3 (ख)	3 (ग)	3 (घ)	3 (ङ.)	4 (क)	4 (ख)	4 (ग)	4 (घ)	4 (ङ.)	4 (च)	5
(घ)	सार्वजनिक वितरण												
4.	छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम मर्यादित	90.00	--	--	0.07	90.07	--	--	--	100.00	--	100.00	1.11:1 (1.11:1)
	योग (घ)	90.00	--	--	0.07	90.07	--	--	--	100.00	--	100.00	1.11:1 (1.11:1)
	वित्त (घ)												
5.	छत्तीसगढ़ अद्योसंरचना विकास निगम मर्यादित	120.00	--	--	--	120.00		2700.00		2700.00	--	2700.00	22.5:1 (--)
6.	छत्तीसगढ़ राज्य उद्योग विकास निगम मर्यादित	160.00	--	--	--	160.00		--	--	--	--	--	--
	योग (घ)	280.00	--	--	--	280.00		2700.00	--	2700.00		2700.00	9.64:1 (--)
	योग (क)	1001.63	92.40	--	0.07	1094.10		2700.00	--	2800.00	574.78	3374.78	3.08:1 (0.23:1)
(ख)	सांविधिक निगम												
1.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल	म.प्र.वि.मं. की परिसम्पतियों और दायित्वों का, म.प्र.रा.वि.मं. और छ.ग.रा.वि.मं. के बीच आनुपातिक वितरण न होने के कारण जानकारी उपलब्ध नहीं											
2.	छत्तीसगढ़ राज्य भाण्डागार निगम	50.00	--	--	--	50.00	--	--	82.06	--	82.06	82.06	1.64:1 (--)
	योग (ख)	50.00	--	--	--	50.00	--	--	82.06	--	82.06	82.06	1.64:1 (--)
	महायोग (क 3 ख)	1051.63	92.40	--	0.07	1144.10	--	2700.00	82.06	2800.00	656.84	3456.84	3.02:1 (0.23:1)

नोट:- आंकड़े अनन्तिम हैं और कम्पनियों/निगमों द्वारा प्रेषित किये गये अनुसार हैं।

** 2002-03 की समाप्ति पर लंबित ऋण, केवल दीर्घावधि ऋणों को दर्शाते हैं।

@ बांडों, डिबेन्चरों, इन्टर कारपोरेट जमाओं को सम्मिलित करते हुये।

परिशिष्ट -XLIX

(कंडिका 6.1.1 और 6.1.6 में संदर्भित)

सरकारी कम्पनियों और सांविधिक निगमों के अद्यतन वर्ष के लिये जिसके लेखाओं को अंतिम रूप दिया जा चुका था, संक्षिप्त वित्तीय परिणाम

(कालम 7 से 12 और 15 के आंकड़े लाख रूपये में हैं)

क्रं. सं.	क्षेत्र और कम्पनी का नाम	विभाग का नाम	निगमन का दिनांक	लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया	शुद्ध लाख (अ)/हानि (-)	लेखा परीक्षा टिप्पणी का निवल प्रभाव	प्रदत्त पूंजी	संचयी लाभ ()/ हानि ()	लगाई गई पूंजी (अ)	लगाई गई पूंजी से कुल वापसी (ब)	लगाई गई पूंजी से कुल वापसी का प्रतिशत	लेखाओं में विलम्ब वर्षों में	टर्न ओवर	मानव शक्ति
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
क.	कार्यरत सरकारी कम्पनियां														
	क्रिया कलाप														
(अ)	उद्योग														
1	छत्तीसगढ़ राज्य बेवरेज निगम मर्यादित	उत्पाद	16.11.2001	--	--	--	--	14.54	--	--	--	--	--	--	29
	योग (अ)	--	--	--	--	--	--	14.54	--	--	--	--	--	--	29
(ब)	वन														
2	छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम मर्यादित	वन	22.5.2001	--	--	--	--	654.49	--	--	--	--	--	1548.12	654
	योग (ब)	--	--	--	--	--	--	654.49	--	--	--	--	--	1548.12	654
(स)	खनन														
3	छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम मर्यादित	भौमिकी एवं खनन	7.6.2001	--	--	--	--	55.00	--	--	--	--	--	403.13	246
	योग (स)	--	--	--	--	--	--	55.00	--	--	--	--	--	403.13	246
(द)	सार्वजनिक वितरण														
4	छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम	खाद्य नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण	13.3. 2001	--	--	--	--	90.00	--	--	--	--	--	--	270
	योग (द)	--	--	--	--	--	--	90.00	--	--	--	--	--	--	270

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
(म)	वित्त														
5	छत्तीसगढ़ अद्योसंरचना विकास निगम मर्यादित	वित्त	26.2.2001	--	--	--	--	120.00	--	--	--	--	--	--	901
6.	छत्तीसगढ़ राज्य उद्योग विकास निगम मर्यादित	वाणिज्य एवं उद्योग	16.11.1981	--	--	--	--	160.00	--	--	--	--	--	--	155
	योग (म)		--	--	--	--	--	280.00	--	--	--	--	--	--	1056
	योग (क)							1094.03						1951.25	2255
ख.	सांविधिक निगम														
1.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल	ऊर्जा	15.11.2000	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	250040.00	17569
2.	छत्तीसगढ़ राज्य भाण्डागार निगम	खाद्य	2.5.2002					50.00						--	478
	योग (ख)		--	--	--			50.00						250040.00	18047
	महायोग (क अख)							1144.03						251991.25	20302

(अ) लगाई गई पूंजी, शुद्ध स्थायी परिसम्पत्तियों पूंजीगत प्रगतिशील कार्यों सहित तथा कार्यरत पूंजी का योग, वित्त कम्पनियों/निगमों के उस प्रकरण को छोड़कर जहां लगाई गई पूंजी को, प्रदत्त पूंजी, रक्षित स्वतंत्र ब्रांड, जमा और उधारियों (पुनर्वित्त सहित) के प्रारम्भिक शेष और अंतिम शेष के योग के मध्यमान के रूप में निकाला गया हो, प्रदर्शित करती है।

(ब) लगाई गई पूंजी की वापसी, लाभ-हानि खाते में भारित, उधार ली गई निधियों पर ब्याज को निवल आधिक्य धनात्मक या निवल हानि ऋणात्मक प्रदर्शित करती है।

परिशिष्ट -L

(कंडिका 6.1.1 और 6.1.5 में संदर्भित)

मार्च 2003 के अंत में प्राप्त सहायता, प्राप्त गारन्टियों, बकाया का स्वत्व त्याग, ऋण जिन पर मोहलत दी गई हो, वर्ष के दौरान इक्विटी में परिवर्तित ऋण और वसूली योग्य सहायता तथा लम्बित गारन्टियों को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(कालम 3(क) से 7 में दर्शाए गये आंकड़े लाख रुपये में हैं)

क्रं. सं.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का नाम	वर्ष के दौरान प्राप्त सहायता और अनुदान				वर्ष के दौरान प्राप्त एवं वर्ष के अंत में लम्बित प्रतिभू-पत्र					वर्ष के दौरान बकाया पर स्वत्व त्याग				ऋण, जिन पर मोहलत दी गई	वर्ष के दौरान इक्विटी में परिवर्तित ऋण
		केन्द्र सरकार	राज्य सरकार	अन्य	योग	बैंकों से नकद साख	अन्य स्रोतों से ऋण	आयात के संबंध में बैंकों द्वारा खोल गये साख पत्र	विदेशी सलाहकारों यास टेकेदारों से करार के अंतर्गत भुगतान वंधन	योग	अपलेखित किया गया ऋणों का पुनर्भुगतान	अपलेखित व्याज	अपलेखित दंड व्याज	योग		
1	2	3(क)	3(ख)	3(ग)	3(घ)	4(क)	4(ख)	4(ग)	4(घ)	4(ङ)	5(क)	5(ख)	5(ग)	5(घ)	6	7
क.	कार्यरत सरकारी कम्पनियां															
(अ)	सार्वजनिक वितरण															
1.	छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम		25406.93 (347.45)	--	25406.93 (347.45)											
	योग (अ)		25406.93 (347.45)	--	25406.93 (347.45)											

(ब)	वित्त																
2	छत्तीसगढ़ राज्य उद्योग विकास निगम	376.41 (200)	412.07 (311.08)	--	788.48 (511.08)												
	योग (ब)	376.41 (200)	412.07 (311.08)	--	788.48 (511.08)												
	योग (क)	376.41 (200)	25819.00 (658.53)		26195.41 (858.53)												
ख.	सांविधिक निगम																
1.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल	1938.00 (लागू नहीं)	6287.00 (लागू नहीं)	--	8225.00 (लागू नहीं)												
	योग (ख)	1938.00 (लागू नहीं)	6287.00 (लागू नहीं)	--	8225.00 (लागू नहीं)												
	योग (क+ख)	2314.41 (200)	32106.00 (658.53)	--	34420.41 (858.53)												

* कालम 3 (क) से 3 (घ) में कोष्टक के आंकड़े अनुदान को प्रदर्शित करते हैं और जो कालम 4 (क) से 4 (ड.) के आंकड़े, वर्ष के अंत में लम्बित गारन्टियों को प्रदर्शित करते हैं।

परिशिष्ट -LI

(कंडिका 6.1.7 में संदर्भित)

विभाग वार लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदनों को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

क्रं. सं.	विभाग का नाम	पी एस यू की संख्या	लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	लम्बित कंडिकाओं की संख्या	वर्ष जब से कंडिकाएँ लम्बित हैं
1.	ऊर्जा	1	370	874	1973-74
2.	वाणिज्य एवं उद्योग	1	6	23	1994-95
3.	वन	1	2	11	2001-02
4.	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	1	2	25	2001-02
5.	वित्त	1	2	8	2001-02
6.	भौमिकी एवं खनन	1	2	17	2001-02
7.	उत्पाद	1	1	13	2002-03
	योग	7	385	971	

परिशिष्ट -LII

(कंडिका 6.1.7 में संदर्भित)

विभाग वार प्रारूप कंडिकाएं, जिनके उत्तर अपेक्षित है, दर्शाने वाला विवरण पत्रक

क्र. सं.	विभाग का नाम	प्रारूप कंडिकाओं की संख्या	जारी करने की अवधि	अभ्युक्ति
1.	ऊर्जा	3	अगस्त 2003	
2.	वाणिज्य एवं उद्योग	2	अगस्त 2003	
3.	वन	1	अगस्त 2003	उत्तर प्राप्त
4.	भौमिकी एवं खनन	1	अगस्त 2003	
5.	खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण	1	अगस्त 2003	
	योग	08		

परिशिष्ट -LIII
(कंडिका 6.2.1 में संदर्भित)
गुणवत्ता सुनिश्चित करने में असफलता के कारण परिहार्य व्यय

(I) अनुपयुक्त पाये गये बैग

जिला	बैगों की संख्या	मूल्य (रूपये 14.85 प्रति बैग की दर से)
जांजगीर	119833	1779520
कोरबा	60910	904514
रायगढ़	20817	309132
योग	201560	2993166

(II) अवमानक पाये गये बैग

जिला बिलासपुर

उपयुक्ता का स्तर (प्रतिशत)	बैगों की संख्या	अनुपयुक्ता स्तर (प्रतिशत)	मूल्य (रूपये 14.85 प्रति बैग की दर से)
75	6,921	25	25,694
50	88,485	50	6,57,001
25	2,33,048	75	25,95,572
योग	3,28,454		32,78,267
महायोग (I) और (II)			62,71,433